खण्ड-507, अंक-06
मंगलवार 23 माघ, शक संवत् 1940
(12 फरवरी, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2019)

(खण्ड 507 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-60
छात्र संघ उद्घाटन में प्रयागराज जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने का प्रकरण (जारी)	60-63
उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2018 में (दिनांक 18-12-2018 से दिनांक 21-12-2018 तक) नियम 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण	64
यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, 2014-2015	64
उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का पंचम् प्रतिवेदन (स्थगित)	64
उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन (स्थगित)	64
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 03 याचिकायें (व्यपगत)	65
श्री रितेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 08 याचिकायें (व्यपगत)	65-66
श्रीमती लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	66
श्री धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	66
श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 02 याचिकायें (उपस्थित की गयीं)	66
श्री राजीव कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित 02 याचिकायें (व्यपगत)	67
श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित 02 याचिकायें (व्यपगत)	67
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकायें (उपस्थित की गयीं)	67
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	67
श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	68
डा0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 14 याचिकायें (उपस्थित की गयीं)	68-69

विषय	पृष्ठ-संख्या
डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 04 याचिकायें (उपस्थित की गयीं)	69-70
छात्रसंघ उद्घाटन में प्रयागराज जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने का प्रकरण	70
कार्य-स्थगन की सूचनाओं का निरस्तीकरण	70
आय-व्ययक पर चर्चा का स्थगन	70
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	70-73
जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील टाण्डा में घनी आबादी के बीच से एन0टी0पी0सी0, टाण्डा से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ले जाये जाने से उत्पन्न समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	74
पूरे प्रदेश में एस0सी0/एस0टी0 के सभी अपराध पीड़ितों के आश्रितों को अनुमन्य सहायता राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुषमा पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	74-75
कानपुर विकास प्राधिकरण में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भू-खण्ड संख्या 42 व 43 की फर्जी रजिस्ट्री की एफ0आई0आर0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह चन्देल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	76-78
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	78-81
गेल कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर दिये जाने एवं एम0पी0 ऐक्ट, 1962 में संशोधन के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	81-82
जनपद बस्ती के भूमिधरी आराजी संख्या 579, 580, 542/80 तथा 542/12 पर अवैध कब्जा हटाकर पैमाइस कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह ''शैलू'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	82

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	82
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाये जाने हेतु न्यायोचित निर्णय लिए जाने के सम्बन्ध में श्रीमती जय देवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	82
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज के तहसील सगड़ी में सरयू नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नफीस अहमद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	83-84
नत्थी	85-103

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-316

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डॉ — बुलन्दशहर
15. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
16. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
19. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
20. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
21. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
22. अरुण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
23. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
24. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
25. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
26. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
27. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
28. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
29. असलम अली, श्री — हापुड़
30. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
31. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
32. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
33. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
34. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
35. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
36. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
37. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
38. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
39. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
40. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
41. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
42. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
43. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
44. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
45. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर

46. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
47. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
48. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
49. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
50. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
51. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
52. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
53. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
54. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
55. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
56. काली प्रसाद, श्री देवरिया
57. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
58. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
59. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
60. केसर सिंह, श्री बरेली
61. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
62. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
63. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
64. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
65. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
66. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
67. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
68. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
69. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
70. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
71. छत्र पाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
72. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
73. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
74. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
75. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
76. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
77. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
78. जयमंगल, श्री महाराजगंज
79. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
80. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
81. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
82. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
83. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
84. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
85. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
86. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
87. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
88. दल बहादुर, श्री रायबरेली
89. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
90. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
91. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीरनगर
92. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
93. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
94. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
95. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
96. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
97. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
98. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
99. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
100. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
101. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
102. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
103. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
104. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
105. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर

106. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
107. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
108. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
109. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
110. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
111. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
112. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
113. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
114. नाहिद हसन, श्री शामली
115. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
116. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
117. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
118. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
119. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
120. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
121. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
122. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
123. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
124. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
125. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
126. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
127. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
128. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
129. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
130. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
131. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
132. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
133. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
134. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
135. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
136. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
137. फागू चौहान, श्री मऊ
138. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
139. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
140. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
141. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
142. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
143. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
144. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
145. बावन सिंह, श्री गोण्डा
146. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
147. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
148. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
149. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
150. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
151. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
152. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
153. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
154. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
155. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
156. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
157. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
158. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
159. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
160. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
161. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
162. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
163. महबूब अली, श्री अमरोहा
164. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
165. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
166. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
167. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा

168. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
169. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
170. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
171. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
172. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
173. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
174. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
175. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
176. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
177. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
178. मौ0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
179. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
180. योगेश वर्मा, श्री खीरी
181. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
182. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
183. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
184. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
185. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
186. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
187. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
188. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
189. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
190. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
191. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
192. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
193. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
194. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
195. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
196. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
197. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीरनगर
198. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
199. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
200. राजबाला, श्रीमती रामपुर
201. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
202. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
203. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
204. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
205. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
206. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
207. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
208. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
209. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
210. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
211. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
212. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
213. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
214. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
215. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
216. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
217. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
218. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
219. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
220. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
221. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
222. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
223. लाखन सिंह, श्री औरैया
224. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
225. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
226. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
227. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
228. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर

229. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
230. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
231. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
232. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
233. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
234. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
235. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
236. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
237. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
238. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
239. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
240. वीरेन्द्र, श्री एटा
241. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री फैजाबाद
242. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
243. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
244. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
245. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
246. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
247. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
248. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
249. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
250. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
251. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
252. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
253. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
254. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
255. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
256. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
257. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीरनगर
258. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
259. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
260. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
261. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
262. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
263. संजय, श्री बुलन्दशहर
264. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
265. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
266. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
267. संजय यादव, श्री बलिया
268. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
269. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
270. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
271. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
272. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
273. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
274. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
275. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
276. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
277. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
278. सत्य प्रकाश अग्रवाल, ''कैलाश डेरी वाले'' श्री मेरठ
279. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
280. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
281. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
282. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
283. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
284. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
285. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
286. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
287. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
288. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर

289. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
290. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
291. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
292. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
293. सुरेश कुमार, श्री शामली
294. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
295. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
296. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
297. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
298. सुरेश राही, श्री सीतापुर
299. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
300. सुशान्त कुमार सिंह, कुं0 बिजनौर
301. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
302. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
303. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
304. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
305. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
306. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
307. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
308. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
309. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
310. हरिओम यादव, श्री फिरोजाबाद
311. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
312. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
313. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
314. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
315. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
316. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :-पंचायती राज, लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वित्त विहीन विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मानदेय दिये जाने विषयक जानकारी

***1-श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्त विहीन विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मानदेय देने की कार्रवाई लम्बित है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार मानदेय बढ़ाने व समय से देने की कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संदीप कुमार सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मानदेय देने की कोई नियमित नीति/व्यवस्था नहीं है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से यह उत्तर दिया है उससे यह साबित होता है कि यह सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, कोई भी संवेदनशीलता इस सरकार के अन्दर नहीं है। अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता होती तो निश्चित रूप से उत्तर कुछ दूसरा होता, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो छोटे-छोटे प्रश्न करना चाहता हूँ। पहला प्रश्न यह है कि क्या समान काम समान वेतन के आधार पर उनका मानदेय बढाया जायेगा अथवा नहीं ? अथवा सरकार विनियमितीकरण करेगी या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि 2 सितम्बर, 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त विहीन विद्यालयों को वरिष्ठता के आधार पर अनुदानित सूची में लाने का निर्देश दिया था तो क्या सरकार अनुदानित सूची में लाने का पालन करेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मा0 सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा-7(क) के अन्तर्गत मान्यता दी जाती है, मान्यता दिए जाने के पहले प्रबंध तंत्र द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग दी जाती है कि वह शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन एवं अन्य मदों पर

आने वाले व्यय का वहन स्वयं निजी स्रोतो से करेंगे। अतः वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान का दायित्व मूल रूप से प्रबंध तंत्र का बनता है क्योंकि यह विद्यालय राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय नहीं हैं और न ही इन विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय.....

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये। आप मेरा उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

आप मूल सवाल कर लीजिए ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, मेरे दो सवाल हैं। माननीय मंत्री जी से मैं तीसरा सवाल नहीं करूँगा। तीसरा सवाल हमारे और साथी करेंगे। मेरे इन दो सवालों का माननीय मंत्री जी सीधा उत्तर दे दें कोई उस पर लाग लपेट नहीं है। मैं अपने सवाल फिर से पढ़े दे रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है कि क्या समान कार्य समान वेतन के आधार पर उनका मानदेय बढाया जायेगा अथवा नहीं ? अथवा सरकार विनियमितीकरण करेगी या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि 2 सितम्बर, 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त विहीन विद्यालयों को वरिष्ठता के आधार पर अनुदानित सूची में लाने के निर्देश दिए थे तो क्या सरकार अनुदानित सूची में लाने का पालन करेगी।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, यह शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें शासन की संवैधानिक जिम्मेदारी भी बनती है। निश्चित रूप से वर्ष 1986 के बाद वित्त विहीन विद्यालयों के लिए कतिपय शर्तों के अधीन प्राविधान लाकर वित्तविहीन विद्यालयों को अनुमति देने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 19207 विद्यालय वर्तमान में इस तरह के कार्यरत हैं और वित्त विहीन शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी सभी हड़ताल पर हैं। पिछले दिनों उन्होंने लम्बी हड़ताल करके असमानता को सामने लाते हुए मांग रखी है कि समान काम के अनुसार, समान वेतन देने का काम किया जाये। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में इस बात के निर्देश जारी करने के आदेश दिये हैं कि किस तरह से वित्त विहीन विद्यालयों को वरिष्ठता के आधार पर अनुदानित सूची में लाने का काम किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, अपने साथी विधायक श्री शैलेन्द्र यादव जी से सम्बद्ध करते हुए मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि शिक्षा के प्रति सरकार की नीयत क्या है क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों शिक्षा के बजट को पहले से कम किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने का काम करेगी अथवा हम यह मान लें कि आप शिक्षा की बढ़ोत्तरी के लिए सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हवाला दे चुके हैं कि सरकार किस प्रकार इस दिशा में काम कर रही है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वित्त विहीन को मान्यता हमने तब दी है जब उनसे सहमति ले ली गई है। उस समय ऐसी स्थिति थी कि शासन विद्यालय नहीं खोल रहा था और हमें बच्चों को पढ़ाना था। लेकिन जब मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिया है तो निश्चित रूप से उन तमाम चीजों का आंकलन करने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश आया है तो क्या सरकार भविष्य में इस पर विचार करेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री संजय गर्ग जी बहुत पुराने सदस्य हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हमारे जिन माननीय सदस्य महोदय का मूल प्रश्न है वह भी सरकार में मंत्री रहे हैं। जब यह लोग उधर विपक्ष में बैठते हैं तभी इन्हें यह सब बातें याद आती हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खन्ना जी भी पहले इधर विपक्ष में बैठते थे तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन्हें भी यहां की बातें अभी याद हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम तो विधान सभा में 80 के दशक में पहली बार आये थे और उस वक्त से लेकर अब तक बहुत कुछ याद है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस बात का उत्तर दे दिया है। नियमों में जो व्यवस्था है कि वित्त विहीन को मान्यता कब देंगे उसका उल्लेख भी माननीय मंत्री जी ने कर दिया है। अब यह जबर्दस्ती हर बात के लिए हां कराना चाहते हैं। जब यह लोग उधर बैठते हैं तो इन्हें सब बातें याद रहती हैं। किताब भी याद रहती है। सब कुछ याद रहता है। जब इधर सरकार में रहते हैं तब यह भूल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक शिक्षा के बजट का सवाल है तो शिक्षा के बजट को हमने कम नहीं किया है। आप देख लीजिये कि आज बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर साठ हजार करोड़ रूपये अर्थात लगभग 12 से 13 परसेण्ट हम खर्च कर रहे हैं। हमारी कोशिश लगातार इस बात की है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अभी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम वित्त विहीन को किसी प्रकार का मानदेय दें। स्पष्ट रूप से यह बात दो बार आ चुकी है और मैं समझता हूं कि बार-बार एक ही बात को रिपीट करना उचित नहीं है। जो वास्तविक स्थिति थी हमने उसकी जानकारी दे दी है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं। यह आज का प्रथम प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रख दिया है। आपका इस पर अब क्या सवाल है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हम यह पूछना चाहते हैं कि वित्त विहीन विश्वविद्यालय पूरा का पूरा मान्यता से पाठ्यक्रम तक सरकार के अधीन रहता है और सरकार ने यह निर्णय लिया कि फीस का निर्धारण सरकार करेगी। जब आप फीस का निर्धारण कर रहे हैं और वित्तविहीन विद्यालय

सरकार के मानक के अनुसार मान्यता पूरी करते हैं जो कि कंडीशन को फुलफिल करता है और फीस का निर्धारण भी सरकार करने जा रही है। आज अगर वित्त विहीन विद्यालय न रहें तो जो छात्र संख्या वित्त विहीन विद्यालय की बढ़ती जा रही है उसमें छात्र पढ़ नहीं पाएंगे अगर राजकीय विद्यालय के भरोसे हम लोग रहेंगे और राजकीय विद्यालय इतने नहीं हैं जो एक जिले में एक एक या दो हैं। जहां दो-दो, तीन-तीन तथा चार-चार लाख लड़के जनपदों में जा रहे हैं, यह वित्त विहीन विद्यालय ऐसे हैं जो छात्रों की खपत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हम सवाल कर रहे हैं। हमारे मा0 विधायक भी शिक्षा के हित में अपने विद्यालय चला रहे हैं जिनके वित्त विहीन विद्यालय चल रहे हैं और उन वित्त विहीन विद्यालयों में अध्यापकों की हालत मनरेगा के लेबरों से भी बुरी हालत है। मान्यवर, अगर मानवता हो तो इसे उनकी तकलीफ कहा जाएगा क्योंकि सरकार तमाम परिवर्तन कर रही है, अध्यादेश ला रही है, कानून बना रही है और वित्त विहीन वालों को आपने संक्षिप्त कर दिया है। उनको कोई संसाधन नहीं दे रहे हैं न ही कोई क्षतिपूर्ति दे रहे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजभर जी आपने अभी प्रश्न नहीं किया है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि जिस चीज का मैंने चित्रण किया है ऐसे विद्यालय जो कई हजार है जहां लाखों में अध्यापक हैं उनकी दैनीय स्थिति को देखते हुए जैसे आपने कहा है कि सरकार विचार नहीं करेगी क्योंकि वित्तीय हालत बहुत खराब है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि वित्त विहीन विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए उसमें जिस देय की हम लोग मांग कर रहे हैं आपने इनकार कर दिया है कि आप उसे नहीं देंगे। क्या मा0 मंत्री जी मानवीय आधार पर जहां पांच लाख अध्यापक हैं उनकी दैनीय स्थिति को देखते हुए वित्त विहीन विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए ताकि और छात्रों की पढ़ाई उसी हिसाब से हो सके मैं फिर से इस पर बल दे रहा हूं क्या मानदेय देने पर विचार करेंगे जैसे पिछली सरकार ने कुछ दिन तक दिया था जिसमें अध्यापको को मानदेय मिला था? हम लोग इसे मांग रहे हैं तो मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा कोई विचार नहीं है इस पर। मानवीय आधार पर यदि आप हैं तो आप कह दें कि आप ऐसे शिक्षकों को जो दुर्दशा में है उन्हें मानदेय देंगे और पूरा वित्त विहीन विद्यालय ही आज छात्रों की संख्या को खपत करके पढ़ाई कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

वैसे इसका उत्तर मा0 मंत्री जी दे चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे मा0 सदस्य बहुत ही सम्मानित हैं और वह सदन की पीठ पर भी रहे हैं। मान्यवर, जो वित्त विहीन हैं उनका नाम ही वित्त विहीन है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) और जहां तक फीस का सवाल है तो पूरे सदन में इसके ऊपर कई बार चर्चा हुई है कि फीस रेग्युलेट जरूर होनी चाहिए। अधिकतम फीस की सीमा जरूर होनी चाहिए। मान्यवर, यह प्रकरण आज से नहीं चला आ रहा है। इस हाउस में पिछले 30 वर्षों से हम देख रहे हैं कि फीस रेग्युलेट होना चाहिए। जो विद्यालय फीस ज्यादा लेते हैं किसी न किसी रूप में उसके ऊपर पाबंदी जरूर होना चाहिए किसी विद्यालय में अधिकतम फीस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी का किसी तरह से कोई शोषण न हो और इसकी एक सीमा हो। मान्यवर, मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि स्थिति नहीं है और यह सही है कि वित्त विहीन विद्यालय शिक्षण कार्य में काफी सहयोग कर रहे हैं। मान्यवर, हमारी स्थिति अभी यह नहीं है कि हम उनको आगे कोई सहायता दे सकें। यह स्पष्ट किया जा चुका है।

उ0 प्र0 सचिवालय में लागू की गयी ई-आफिस व्यवस्था के सम्बन्ध में

***2-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में लागू की गयी ई-आफिस व्यवस्था पर कुल कितना व्यय सरकार द्वारा किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि ई-आफिस व्यवस्था हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने वाली संस्था को चुने जाने के मानक क्या थे तथा उक्त चुनी गयी संस्था के अतिरिक्त किन-किन संस्थाओं के प्रस्ताव पर विचार किये गये हैं ? क्या सरकार प्रत्येक अनुभाग में ई-आफिस प्रणाली को सुचारु रूप से लागू कराकर उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उत्तर प्रदेश सचिवालय में लागू की गयी ई-आफिस व्यवस्था पर सम्प्रति रु0 19,82,50,081/- का व्यय किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या 13/2017/541/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के सपठित शासनादेश संख्या 25/2017/2747/78-2- 2017/25 आई0टी0/2001, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 में की गयी व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश सचिवालय में ई-आफिस व्यवस्था हेतु आवश्यक उपकरणों (कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 तथा स्कैनर) का क्रय भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से किया गया जिसकी क्रय प्रक्रिया पूर्णतः आनलाइन है।

ई-आफिस व्यवस्थान्तर्गत कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु एनआईसी द्वारा विशिष्टियां उपलब्ध करायी गयीं।

उपरोक्त विशिष्टियों पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

तत्पश्चात् मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार के जेम पोर्टल पर बिड की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिड अपलोड की गयी।

तकनीकी बिड में क्वालीफाई करने वाली संस्थाओं की वित्तीय बिडें खोली गयीं।

तद्नुसार उपकरणों के क्रय हेतु गठित क्रय समिति द्वारा न्यूनतम बिडर (एल-1) क्रमशः कम्प्यूटर हेतु डेल इण्टरनेशनल सर्विसेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, प्रिन्टर हेतु रीको इण्डिया लिमिटेड, यू0पी0एस0 हेतु एलनोवा प्राइवेट लिमिटेड तथा स्कैनर हेतु लैण्डमार्क इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड को नियमानुसार पाते हुए उपकरणों के क्रय हेतु संस्तुत किया गया।

तदोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से आनलाइन क्रयादेश दिये गये।

वित्तीय निविदादाता संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है :-

कम्प्यूटर-

1-डेल इण्टरनेशनल सर्विसेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड।

2-जोन्स कारपोरेट साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड।

3-एसेण्ट डिजिट साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड।

4-एच पी इण्डिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड।

5-एग्माटेल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड।

प्रिन्टर-

1-रीको इण्डिया लिमिटेड।

2-लैण्डमार्क इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड।

3-इन्का इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।

4-एच पी इण्डिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड।

5-साइबर मैक्स इण्टरप्राइजेज।

6-नेटलिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स।

यू0पी0एस0-

1-एलनोवा प्राइवेट लिमिटेड।

2-ओडिसी कम्प्यूटर्स।

3-यूनीलाइन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड।

4-इम्पल्स माइक्रोइलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड।

5-एन0पी0एस0 पावर साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड।

6-श्रद्धा पावर साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड।

7-पेस बिजिनेस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड।

स्कैनर-

1-लैण्डमार्क इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड।

2-काल क्विक डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड।

3-एचपी इण्डिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड।

4-इप्सन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड।

5-इन्टिग्रा माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड।

6-साइबर मैक्स इण्टरप्राइजेज।

7-सनवालिया आर0एस0ई0 सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड।

8-आन टाइम सर्विसेज।

दिनांक 07 मई, 2018 से ई-आफिस व्यवस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त विभागों में लागू हो गयी है और विभागों द्वारा नई पत्रावलियां ई-आफिस व्यवस्था में व्यवहृत की जा रही हैं। दिनांक 08-02-2019 तक 25006 पत्रावलियां ई-आफिस पोर्टल पर खोली गयी हैं। इनका विभागवार विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें संलग्नक लगाया गया है कि किस-किस विभाग में कितना-कितना वह है और अगर आप कहें तो मैं यह सारी पत्रावलियॉं पढ़ दूं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े अच्छे विद्वान हैं जो संलग्नक सूची की बात की गई है वह हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। यह बायोमेट्रिक प्रणाली किसी अच्छे संकल्प, अच्छे गोल, अच्छी प्रतिबद्धता, वचनबद्धता से लेकर आये हैं लेकिन इस सूची में यह कहीं भी नहीं दर्शाया गया कि कितने अनुभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति वर्तमान में दर्ज हो रही है। बायोमेट्रिक उपकरणों के लगाये जाने के बाद भी कितने उपकरण खराब हैं इसकी सूचना भी नहीं है और उन उपकरणों के खराब होने के कारण क्या हैं, उपकरणों से उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं हो रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? जो लोग जिम्मेदार हैं क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी या नहीं होगी ? यह हमारी जिज्ञासा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 श्याम सुन्दर शर्मा जी इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं और यह हॉयर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं और भी कई विभाग इनके पास रहे हैं। वर्तमान समय में आश्वासन समिति के चेयरमैन भी हैं। इनको तो स्वागत करना चाहिए कि एक नई व्यवस्था जो हमारे समय को बचाएगी, पेपर को बचाएगी, तमाम कॉम्प्लिकेशन को बचाएगी।

---

†देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 81-83 पर।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया है कि अच्छा संकल्प, अच्छी प्रतिबद्धता, वचनबद्धता है। शायद आपने सुना नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने यह नहीं कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं। अगर आप स्वागत कह देते तो हम उसी समय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते। इसमें दिनांक 08-02-2019 तक ई-ऑफिस में पत्रावलियां आईं। यह नई व्यवस्था अनुभाग से लेकर शासन तक लागू हुई है। जब कोई नई व्यवस्था लागू होती है तो उसमें कई तरह के नये सवाल भी खड़े होते हैं। इस व्यवस्था को सबसे पहले आंध्र-प्रदेश में लागू किया गया वहां डायरेक्ट्रेट से लेकर सेक्रेटेरिएट तक फिजिकल फाइल मूव नहीं होती है वहां इसी प्रकार से इन्फारमेशन्स मूव होती हैं और उसी इन्फारमेशन्स के ऊपर जिनकों टिप्पणी करनी होती हैं वह अपने कम्प्यूटर के माध्यम से टिप्पणी कर देते हैं। जो नई व्यवस्था लागू हुई है उसको इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि उसमें सुझाव देना चाहिए कि यह-यह कर लिया जाये लेकिन सुझाव तो कोई है नहीं, मगर आलोचना जरूर की जा रही है। मा0 मंत्री जी को और पूरे विपक्ष एवं सदन को इसका स्वागत करना चाहिए कि एक नई प्रणाली मा0 मुख्य मंत्री जी ने लागू की है और अगर उसमें कोई सुझाव हो तो बतायें। हम उस सुझाव को सुनने के लिए तैयार हैं और उसमें कोई ऐसी व्यवस्था हो या आवश्यक हो तो हम उसका परीक्षण करके उसमें सुधार करने के लिए भी तैयार हैं। यहां पर निगेटिव बात आ गई है इसलिए मैं पढ़ देता हूं। राजस्व विभाग में 557 पत्रावलियां, नियुक्ति में 243, सामान्य प्रशासन में 08, संस्कृत में 339, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 566, गृह में 2643, न्याय में 145, आवास एवं शहरी नियोजन में 586, नगर विकास में 118, वित्त में 95, कर एवं निबन्धन में 321, कृषि में 403 पत्रावलियां हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, एक कॉपी आप भिजवा दीजिएगा। इनको सूची की कॉपी नहीं मिली है इसलिए इन्होंने अपनी बात कही।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ठीक है, भिजवा देंगे।

प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती पर लगी रोक हटाने एवं टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने विषयक जानकारी

***3-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की प्रक्रियाधीन भर्ती पर से रोक हटाये जाने तथा परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को वर्ष 2011 से अब तक बी0टी0सी0/विशिष्ट बी0टी0सी0 ट्रेनिंग पूर्ण कर चुके तथा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व तथा वित्त राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों के पदों पर शासनादेश संख्या 3300/79-5-2016-4127/2013, दिनांक 15-12-2016 एवं शासनादेश संख्या 537/79-5-2018, दिनांक 11-4-2018 द्वारा चयन/नियुक्ति की कार्यवाही के आदेश दिये गये थे। प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग पूर्ण करते हुए 5948 अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की जा चुकी है। रिट याचिका सं0-11375/2018 रामजनक मौर्या बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा नये सिरे से चयन किये जाने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील संख्या 619/2018 उ0 प्र0 राज्य व अन्य बनाम रामजनक मौर्या व अन्य तथा अन्य योजित विशेष अपील 613/2018, 617/2018 एवं 609/2018 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2011 से अद्यतन विहित अर्हताधारी/प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु क्रमशः 9770, 10800, 10000, 15000, 16448, 12460, 68500 सहायक अध्यापकों के पदों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 विज्ञान/गणित विषय के सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया सम्पादित की गयी है, जिसके फलस्वरूप चयनित अधिकांश सहायक अध्यापकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन/नियुक्ति की कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय में तैनात समीक्षा अधिकारियों एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों के वेतन में पदोन्नति के पश्चात् आयी वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने विषयक

***4-श्री लालजी वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं उसके समकक्ष सचिवालय के समीक्षा अधिकारी का ग्रेड-पे दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को रुपया 4800/- एवं सहायक समीक्षा अधिकारी को ग्रेड-पे दिनांक 06 सितम्बर, 2013 को रुपया 4600/- किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि शासनादेश की तिथियां अलग होने के कारण उ0 प्र0 सचिवालय एवं उसके समकक्ष सचिवालय के समान तिथि को प्रथम ए0सी0पी0 (ग्रेड-पे 4600) पाये कतिपय सहायक समीक्षा अधिकारी, जिनकी समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति 22 दिसम्बर, 2011 के पूर्व हुई है, का मूल वेतन उनसे कनिष्ठ कर्मचारी जिनकी पदोन्नति 6 सितम्बर, 2013 के पश्चात् हुई है, को मूलनियम 22-बी का लाभ दिये जाने के कारण कनिष्ठ कर्मियों से कम होने के फलस्वरूप वेतन विसंगति उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वेतन विसंगति को दूर करने हेतु कोई शासनादेश/स्पष्टीकरण जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (योगी आदित्यनाथ)-

जी हां। सचिवालय प्रशासन अनु0-1 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2065/बीस-1-ई-2011-516/96टी0सी0-7(सी), दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय

नोट-घोर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न सं0-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

के समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी (लेखा) एवं अपर निजी सचिव के लिए ग्रेड वेतन रु0 4800/- किया गया है। इसके साथ-साथ सचिवालय प्रशासन अनु0-1 (अधि0) के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1819/बीस-1-ई-2013-603(15)/08टी0सी0-5, दिनांक 06 सितम्बर, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों हेतु ग्रेड वेतन रु0 4600/- किया गया है।

भारत सरकार के वेतन निर्धारण संबंधी आदेश दिनांक 08-08-2011 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत कार्मिकों को वही वेतन स्तर दिये जाने की व्यवस्था नहीं है, जो उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती से आने पर देय होता है। ऐसी स्थिति में कम्प्यूटर सहायक से दिनांक 06 सितम्बर, 2013 के बाद सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर उनका वेतन निर्धारण पदोन्नति के नियमों के अनुसार ही होगा और इसमें न्यूनतम रु0 17140 के स्तर पर दिये जाने की बाध्यता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के यू0पी0 पुलिस की डायल 100 सेवा में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली को रोकने विषयक

***5-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यू0पी0 पुलिस की डायल 100 सेवा में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली, समझौते के नाम पर धन उगाही की शिकायतें सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

यू0पी0 100 में कार्यरत पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच एवं कार्यवाही के लिए संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है। डायल 100 परियोजना के प्रारम्भ से अक्टूबर, 2018 तक प्राप्त शिकायतों पर जांच कर कुल 161 पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया गया है। 03 पुलिस कर्मियों को अर्थदण्ड तथा 62 पुलिस कर्मियों को चेतावनी देकर दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है। उक्त के अतिरिक्त 32 पुलिस कर्मियों को स्थानान्तरित किया गया है, 26 पुलिस कर्मियों को रिजर्व में रखा गया है तथा 38 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के समस्त सूचीबद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की क्षेत्रवार योगदान पुस्तिका प्रकाशित किये जाने विषयक

***6-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त सूचीबद्ध स्वतंत्रता सेनारियों का संक्षिप्त योगदान उनके क्षेत्र के थाने के रजिस्टर नं0 आठ में अंकित कराने तथा ब्लाक, नगर, तहसील व जिलेवार उनके योगदान सम्बन्धी पुस्तिका सरकार प्रकाशित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधायी एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन (श्री ब्रजेश पाठक)-

प्रदेश के समस्त सूचीबद्ध स्वतंत्रता सेनानियों का संक्षिप्त योगदान उनके क्षेत्र के थाने के रजिस्टर नं0 8 में अंकित कराने की कोई योजना प्रक्रियाधीन नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों के ब्लाक, नगर, तहसील व जनपद में उनके द्वारा किये गये योगदान सम्बन्धी पुस्तिकाओं का प्रकाशन जनपदवार सेनानियों के नाम के वर्णानुक्रम में कराया गया है। वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान पर आधारित किसी भी पुस्तिका का प्रकाशन विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिलाने के सम्बन्ध में

***7-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 व अन्य बोर्ड द्वारा संचालित निजी स्कूलों में ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' का अनुपालन न करते हुए कमजोर वर्ग के पात्र छात्रों को मनमाने ढंग से प्रवेन न दिये जाने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो सरकार ने कितने स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाही की है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2018-19 में कितने कमजोर वर्ग के छात्रों को इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 धारा-12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के लगभग 42000 बच्चों का प्रवेश कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत रिसोर्स एण्ड इटीनरेंट टीचर्स को नियमित करने के सम्बन्ध में

***8-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत रिसोर्स एण्ड इटीनरेंट टीचर्स को नियमित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसके अन्तर्गत अस्थाई रूप से सृजित सभी पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर भरे जाते हैं। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत दृष्टि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग एवं बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए उक्त दिव्यांगताओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त विशेष शिक्षकों इटीनरेंट रिसोर्स टीचर्स की तैनाती प्रथम बार वर्ष 2005-06 में नियत मानदेय पर की गई थी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थायी पदों का कोई संवर्ग नहीं है। फलस्वरूप संविदा पर कार्यरत इटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर्स का सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमितीकरण सम्भव नहीं है।

***9-श्री उमाशंकर सिंह-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में दिये जाने वाले मिड-डे-मील के स्थान पर उच्च गुणवत्तापरक् पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

***10-श्री मनोज कुमार पारस तथा श्री सुखदेव राजभर-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में दिये जाने वाले मिड-डे-मील भोजन के कारण बच्चों की मानसिक क्षमता/मनोवृत्ति अध्ययन के स्थान पर खाने की ओर ज्यादा आकृष्ट होने के कारण उनका व्यक्तित्व एक गुणवत्तापरक् नागरिक बनने के स्थान पर लक्ष्यहीन हो जाता है ? यदि हां, तो उक्त मिड-डे-मील के रूप में दिये जाने वाले भोजन के स्थान पर उच्च गुणवत्तापरक् पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-196/2001 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28-11-2001 के क्रम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में निम्न उद्देश्यों के दृष्टिगत मध्यान्ह भोजन योजना संचालित है :-

बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार गर्म पका-पकाया पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना।

पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।

छात्रों में विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना।

बच्चों में भाई चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना जिससे उनमें अच्छी समझ एवं संस्कार पैदा हो।

उपरोक्तानुसार मध्यान्ह भोजन योजना का प्रभाव सकारात्मक एवं लक्ष्यपरक् है।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार गर्म पका-पकाया पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ ही प्रदेश में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं हेतु प्रत्येक शैक्षिक सत्र में गुणवत्तापरक् राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशन की कार्यवाही उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार करते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं।

वर्तमान शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु कक्षा-1 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें पूर्व में ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा उपकरणों पर सब्सिडी देने विषयक

***11-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगातार बिजली की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुये सौर ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोग व उसे बढ़ावा देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नागरिकों के घरेलू उपकरणों एवं कृषकों के लिये सौर उपकरणों पर कितने-कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है ? क्या अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा उपकरणों पर 75 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी सरकार प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा सौर उपकरणों पर निम्नवत् सब्सिडी प्रदान की जा रही है :-

सोलर रूफटाप प्लाण्ट की स्थापना पर घरेलू उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त रु0 15000/- प्रति कि0वाट अधिकतम रु0 30000/- प्रति उपभोक्ता का राज्यानुदान दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रोजेक्ट मोड के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना पर रु0 7100/- प्रति संयंत्र का राज्यानुदान दिया जा रहा है। संयंत्र की कुल कीमत की अवशेष धनराशि मा0 जनप्रतिनिधियों/ग्राम पंचायत निधि/क्षेत्र पंचायत निधि से लाभार्थी संस्था द्वारा अंशदान के रूप में वहन की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण राज्य वित्त पोषण से पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजनान्तर्गत ब्लाक स्तरीय ग्रामीण बाजारों में सामुदायिक प्रकाश की व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण राज्य वित्त पोषण से मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे, टोले, पुरवे, वसाबट सहित) में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइटों से करायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोलर पम्प सिंचाई की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को राज्य सरकार द्वारा 2 एचपी, 3 एचपी सोलर सिंचाई पम्पों पर 45 प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 5 एचपी क्षमता के सिंचाई पम्पों पर सभी श्रेणी के कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा 20 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) उपलब्ध कराया जा रहा है।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत घरों, जिनका विद्युतीकरण उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन द्वारा नहीं किया जा सकता है, में सोलर पावर पैक संयंत्रों की निःशुल्क स्थापना का कार्य वर्तमान वर्ष में किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल पशु चिकित्सालयों की संख्या एवं उनमें रिक्त पदों पर नियुक्ति करने विषयक

***12-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पशु अस्पताल संचालित हैं एवं उनमें डाक्टर व अन्य स्टाफ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति कर पशु चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य मंत्री (श्री एस0 पी0 सिंह बघेल)-

जी हां।

प्रदेश में 2202 पशु चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें से ब्लाक/ग्रामीण स्तर के 1900 पशु चिकित्सालय हैं तथा 302 पशु चिकित्सालय तहसील स्तरीय हैं। प्रदेश में संचालित 2202 पशु चिकित्सालयों पर तैनात पशु चिकित्साधिकारियों एवं अन्य स्टाफ की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (श्रेणी-एक)	302	268	34
2	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (श्रेणी-2)	1900	1650	250
3	वेटनरी फार्मासिस्ट (समूह-ग)	1982	1104	878
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (समूह-घ)	5797	3682	2115

जी हां।

उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है जबकि पशु चिकित्साधिकारी की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा चयनोपरान्त

प्रदत्त संस्तुति के आधार पर की जाती है। पशु चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त होना उसे भर्ती के माध्यम से भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जो निरन्तर चलती रहती है।

वेटनरी फार्मासिस्ट की सेवा नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही क्रमित है। सेवा नियमावली प्रख्यापित होने के उपरान्त वेटनरी फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। शासनादेश सं0 वे0आ0-2-2052/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08-09-2010 द्वारा चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी पदों को छोड़कर शेष पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था है। उक्त के क्रम में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही क्रमित है।

रिक्त पशु चिकित्सालयों पर निकटस्थ तैनात पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य स्टाफ के माध्यम से कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निरक्षरता के पूर्णरूप से उन्मूलन हेतु विशेष साक्षरता अभियान चलाने की मांग

***13-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरक्षरता के पूर्णरूप से उन्मूलन हेतु सरकार कोई विशेष साक्षरता अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन वर्ष 2009-10 से संचालित किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-3-18 को समाप्त कर दिया गया है।

प्रदेश में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक घटित साइबर अपराध की घटनाओं के सम्बन्ध में

***14-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक साइबर अपराध की कितनी घटनायें घटित हुई और कितने अपराधो की जांच पूर्ण कर कितने अपराधी जेल भेजे गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि साइबर क्राइम से संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु अब तक कितने पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक साइबर अपराध की घटित घटनाओं के सम्बन्ध में कुल 5477 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उक्त घटनाओं में संलिप्त कुल 2127 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 399 अभियुक्तों द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया तथा 04 अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई है।

उक्त के अतिरिक्त साइबर क्राइम थाना लखनऊ/गौतमबुद्धनगर की सूचना निम्नवत् है :-

जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक पंजीकृत अभियोगों की संख्या	14
साइबर अपराध में जेल भेजे गये अपराधियों की संख्या	80

प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन संस्थानों में 98 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त एस0टी0एफ0 के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में 23 (03 निरीक्षक, 04 उप निरीक्षक एवं 16 आरक्षी) पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के 12वीं तक के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने विषयक

***15-श्री संजय गर्ग-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 100 प्रतिशत शिक्षा दर प्राप्त करने के लिये 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (डॉ दिनेश शर्मा)-

प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है तथा कक्षा 09 से 12 तक के छात्र-छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिये जाने की व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन पेयजल योजना संचालित करने के सम्बन्ध में

***16-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैण्डपम्पों से दूषित पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान हेतु पाइप लाइन पेयजल योजना संचालित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ महेन्द्र सिंह)-

जी हां। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हैण्डपम्पों को हतोत्साहित किये जाने के दृष्टिगत पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस को शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जानी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन

किया जा रहा है। सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार जे0ई0/ए0ई0एस0, आर्सेनिक/फ्लोराइड, खुले में शौचमुक्त ग्रामों तथा चयनित सांसद आदर्श ग्रामों में प्राथमिकता पर पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

***17--श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों के रिटायर्ड शिक्षकों के जी0पी0एफ0 भुगतान के सम्बन्ध में

***18-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों से रिटायर्ड शिक्षकों का वर्षों से जी0पी0एफ0 का भुगतान नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो जी0पी0एफ0 भुगतान न होने के क्या कारण हैं तथा किस वर्ष तक के रिटायर्ड शिक्षकों का जी0पी0एफ0 का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार वर्ष जून, 2018 तक रिटायर्ड शिक्षकों के जी0पी0एफ0 का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं, जी0पी0एफ0 का भुगतान हो रहा है (जनपद एटा, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज एवं बहराइच को छोड़कर)।

उपरोक्त जनपदों में सामान्य भविष्य निधि खाते में धनाभाव के कारण जी0पी0एफ0 का भुगतान बाधित है। सामान्य भविष्य निधि खाते में धनराशि उपलब्ध होने पर क्रमवार सेवानिवृत्त शिक्षकों का भुगतान कराया जा रहा है।

जी हां।

सामान्य भविष्य निधि खाते में यथाशीघ्र धनराशि उपलब्ध होने पर क्रमवार सेवानिवृत्त शिक्षकों का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र की समयबद्धता को समाप्त करने के सम्बन्ध में

***19-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015 में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिन्हें समय सीमाबद्ध जाति प्रमाण-पत्र जारी हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जाति प्रमाण-पत्र की समय सीमाबद्धता को समाप्त कर स्थायी जाति प्रमाण-पत्र जारी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र स्थायी रूप से जारी किये जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-III-का-2/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में निम्नलिखित व्यवस्था है :-

''ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक हो।''

इस प्रकार चूंकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र तीन वर्ष की वार्षिक आय के आधार पर जारी किये जाने की व्यवस्था है। अतः इनके जाति प्रमाण-पत्र समय सीमाबद्ध रूप से जारी किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के लिपिक संवर्ग की स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में

1-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के लिपिक संवर्ग की स्थानान्तरण नीति क्या है तथा स्थानान्तरण नीति के अनुसार कोई भी लिपिक किसी एक विकास खण्ड में अधिकतम कितने वर्ष तक लगातार तैनात रह सकता है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला में वर्ष 2003 से लगातार कार्यरत लिपिक को स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

परिषदीय लिपिकों के स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं है तथापि तीन वर्ष से अधिक एक ही पटल पर कार्यरत होने की दशा में पटल परिवर्तन किये जाने के आदेश हैं।

जी नहीं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के कार्यालय आदेश संख्या एस0टी0/19666-71/2018-19, दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से जनपद में कार्यरत समस्त पटल सहायकों का पटल परिवर्तित कर दिया गया है।

उक्तवत।

उक्तवत।

जनपद लखीमपुर खीरी के थाना निघासन, थाना धौरहरा व थाना ईसानगर के अन्तर्गत पंजीकृत कुख्यात अपराधियों पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

2-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर-खीरी के थाना निघासन, धौरहरा व ईसानगर के अन्तर्गत किस-किस कुख्यात अपराधी पर कार्यवाही हुई तथा अपराध

नियंत्रण हेतु किन-किन अपराधियों को जेल भेजा गया एवं उपरोक्त थानों में कौन-कौन अपराधी जमानत कराकर दहशतगर्दी कर रहे हैं, क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

थाना क्षेत्र निघासन के 08 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट की कार्यवाही कर जेल भेजा गया तथा 05 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। 07 वर्षीय बालिका कु0 मनीषा के साथ बलात्कार के बाद हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या-282/18, धारा-376, 302, 201 भा0द0वि0 व 5(एम)/6 पाक्सो ऐक्ट के नामित अभियुक्त छोटेलाल पुत्र शम्भर, निवासी बेलहा पुरवा के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। थाना क्षेत्र का कोई भी अपराधी जमानत कराकर दहशतगर्दी नहीं कर रहा है।

थाना क्षेत्र धौरहरा के 15 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया है तथा 22 अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट की कार्यवाही की गयी है। उपरोक्त अभियुक्तों के अतिरिक्त अन्य अभियुक्त पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। थाना क्षेत्र का कोई भी अपराधी जमानत कराकर दहशतगर्दी नहीं कर रहा है।

थाना क्षेत्र ईसानगर में कुल 06 मुकदमों में 19 अभियुक्तों को गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा 25 अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट की कार्यवाही की गयी है तथा 08 अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी है। 03 गैंग पंजीकृत कराये गये हैं तथा अभियुक्त शाबिर व जाबिर पुत्रगण सुलतान, निवासीगण त्रिकोलिया, थाना ईसानगर, जनपद खीरी के विरुद्ध 14(1) गैंगेस्टर ऐक्ट की कार्यवाही की गयी है। अपराध नियंत्रण में उपरोक्त गैंगेस्टर ऐक्ट के अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना क्षेत्र का कोई अपराधी जमानत कराकर दहशतगर्दी नहीं कर रहा है।

सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक धौरहरा व रमिया बेहड़ में एम0आई0एम0 सूची से भिन्न पात्र श्रेणी के परिवारों को शौचालय दिलाने के सम्बन्ध में

3-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी अन्तर्गत ब्लाक धौरहरा व रमिया बेहड़ में एम0आई0एस0 सूची से किस-किस ग्राम सभा में किस-किस के शौचालय पूर्ण हो गये हैं ? क्या सरकार एम0आई0एस0 सूची के अतिरिक्त पात्र श्रेणी परिवारों का सर्वे कराकर शौचालय उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 84-89 पर।

पंचायती राज, लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत भारत सरकार की निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड बेस लाइन सर्वे, 2012 के अनुसार विकास खण्ड धौरहरा की 49 ग्राम पंचायतों में कुल 21,545 एवं विकास खण्ड रमिया बेहड़ की 48 ग्राम पंचायतों में 33941 परिवारों के शौचालय निर्मित कराये जाने थे जो एम0आई0एस0 के अनुसार निर्मित कराये जा चुके हैं। बेसलाइन सर्वे, 2012 के समय छूटे एवं उसके उपरान्त बढ़े हुए परिवारों का सर्वे वर्ष 2018 में पूर्ण किया गया है, जिसमें विकास खण्ड धौरहरा में 7208 एवं विकास खण्ड रमिया बेहड़ में 9665 पाये गये हैं, जिनका विवरण भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा चुका है। विकास खण्ड धौरहरा में 7208 के सापेक्ष 645 एवं विकास खण्ड रमिया बेहड़ में 9665 के सापेक्ष 1040 लाभार्थियों हेतु शौचालय निर्मित कराये जा चुके हैं।

बेसलाइन सर्वे, 2012 के समय छूटे एवं बढ़े हुए परिवारों हेतु कराये गये सर्वे में पाये गये पात्र परिवारों में से निर्मित होने वाले अवशेष शौचालय पूर्ण कराना शासन की प्राथमिकता में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर के तहसील धौरहरा में भूमिहीन परिवारों को पट्टा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

4-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर, तहसील धौरहरा में भूमिहीन परिवारों को मार्च, 2017 से दिनांक 16-10-2018 तक किस-किस ग्राम सभा में किस-किस पात्र व्यक्तियों को भूमि पट्टा तथा आवासीय पट्टा दिये गये हैं ? क्या सरकार शेष बचे परिवारों को भूमि पट्टा व आवासीय पट्टा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद लखीमपुर खीरी में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि पट्टा व आवासीय पट्टा तहसील धौरहरा के ग्राम कलुआपार में 23, डिहुआ कला में 24, मडवा में 60, धौरहरा में 01, ओझापुरवा में 20 व ग्राम चहमलपुर में 12 कुल 140 पट्टे हुए हैं। सूची संलग्न† है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत जर्जर सड़कों को बनवाने विषयक

5-श्री नफीस अहमद-

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत सड़कें जर्जर और गड्ढायुक्त हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

†देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 90-97 पर।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ''मोती सिंह'')-

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग केवल एक कार्यदायी विभाग है, जिसके द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में निर्मित सभी सड़कों को जिला पंचायत, आजमगढ़ को हस्तान्तरित किया जा चुका है। अतः वर्तमान में विभाग के स्वामित्व में विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में कोई सड़क नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में मार्च, 2017 से नवम्बर, 2018 तक मुठभेड़ में घायल एवं शहीद हुए पुलिस कर्मियों को दी गयी सहायता राशि के सम्बन्ध में

6-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2017 से नवम्बर, 2018 तक मुठभेड़ के दौरान कुल कितने पुलिस कर्मी शहीद हुये तथा कुल कितने घायल हुये हैं ? क्या सरकार ने शहीद हुये/घायल हुये पुलिस कर्मियों को कितनी-कितनी राशि दी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में मार्च, 2017 से नवम्बर, 2018 तक 04 पुलिसकर्मी शहीद हुए एवं कुल 537 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

जनपद आगरा में दिनांक 05-04-2017 को शहीद पुलिसकर्मी आरक्षी स्व0 अजय कुमार तथा दिनांक 29-07-2017 को शहीद आरक्षी सतीश चन्द्र के वारिसान को रुपये 25 लाख की दर से तथा जनपद शामली में दिनांक 04-01-2018 को शहीद अंकित तोमर तथा जनपद चित्रकूट में दिनांक 24-08-2017 को शहीद उप निरीक्षक जे0 पी0 सिंह के वारिसान को रुपये 50 लाख की दर से आर्थिक सहायता वितरित की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत अवधि में कुल आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा कुल रुपये 1,50,00,000/- की धनराशि स्वीकृत/वितरित की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

7-श्री सुखदेव राजभर-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के आई0ए0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में

8-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने आई0ए0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच किस एजेन्सी से चल रही है ? क्या सरकार अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रदेश की मुख्य जांच एजेन्सियों सतर्कता अधिष्ठान, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन व अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा क्रमशः 07, 04 व

01 आई0ए0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच सम्पादित की जा रही है। जी नहीं। विभागीय सुरक्षा अनुदेश, 1990 में सतर्कता विभाग की जांच आख्यायें गुप्त श्रेणी में वर्गीकृत हैं तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन व अपराध अनुसंधान विभाग की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का प्राविधान नहीं है।

प्रदेश के आई0पी0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में

9-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने आई0पी0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच किस एजेन्सी से चल रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में एक आई0पी0एस0 अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच सतर्कता विभाग से चल रही है।

जांच कार्य प्रभावित होने एवं गोपनीयता के दृष्टिगत विवरण मा0 सदन के पटल पर रखा जाना समीचीन नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विकास खण्ड पयागपुर के तालाब बघैल पुनर्वास केन्द्र के विस्थापितों हेतु तत्कालीन पुनर्वास एवं वन विभाग के मध्य हुए शर्तनामा के अनुसार पुनर्वास विभाग द्वारा वन विभाग को रु0 40,000 देने एवं विस्थापितों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के सम्बन्ध में

10-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के तालाब बघैल पुनर्वास केन्द्र के विस्थापितों हेतु तत्कालीन पुनर्वास एवं वन विभाग के मध्य जो शर्तनामा शासनादेश संख्या-8437/14 1बी-ए-503/61, दिनांक 5 जून, 62 द्वारा तत्कालीन पुनर्वास अब राजस्व विभाग के शर्तनामा के मुताबिक 688 एकड़ भूमि एवं 40,000/-(चालीस हजार) वन विभाग को देना था या उसके बदले वन विभाग पुनर्वास विभाग पयागपुर स्थित जंगल के 300 एकड़ भूमि प्रदान करने की शर्त थी ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त विस्थापितों को 300 एकड़ भूमि पर कब्जा दे दिया गया है जो वर्तमान में काबिज होकर भूमि पर खेती कर रहे हैं जबकि शासनादेश के अनुसार पुनर्वास विभाग द्वारा वन विभाग को रु0 40,000/- न देने के कारण अभी तक विस्थापितों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश एवं शर्तनामा के अनुसार विस्थापितों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिये पुनर्वास अब राजस्व विभाग को रुपये 40,000/- वन विभाग को उपलब्ध करा देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

चूंकि प्रकरण से सम्बन्धित ग्राम इमलियागंज की भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा रिट याचिका सं0 386/03 (चकबन्दी) में पारित स्थगनादेश दिनांक 31-03-2003 व रिट याचिका सं0-394/03 (चकबन्दी) में पारित स्थगनादेश दिनांक 02-04-2003, जो वर्तमान में प्रभावी है तथा ग्राम तालाब बघेल, काशीजोत, झालातरहर व नूरपुर की वन भूमि के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रस्तर-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अपेक्षित अनुमति प्राप्त होना अवशेष है। इसलिए मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में विचाराधीन दोनों रिट याचिकाओं में अन्तिम निर्णय पारित होने तथा केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त होने की कार्यवाही वन विभाग द्वारा किये जाने के उपरान्त ही उपरोक्त ग्रामों की भूमि पुनर्वास विभाग को हस्तान्तरित होनी है।

परिषदादेश दिनांक 06-12-2006 में स्पष्ट उल्लेख है कि रु0 40,000.00 की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी। प्रकरण में उल्लिखित स्थिति के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को 65 वर्ष तक सेवा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में

11-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को 65 वर्ष तक सेवा का लाभ दिये जाने सम्बन्धी बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्तावानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को 65 वर्ष तक का सेवा विस्तार दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में

12-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को प्रयागराज से लखनऊ स्थानान्तरित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को प्रयागराज से लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बंजर श्रेणी की भूमि को जोहड़ श्रेणी सार्वजनिक प्रयोग के खाते में परिवर्तित करने विषयक

13-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बंजर श्रेणी की भूमि को जोहड़ श्रेणी सार्वजनिक प्रयोग के खाते में परिवर्तित करने का अधिकार लैंड रिकार्ड मैन्युअल के अन्तर्गत किस प्राधिकारी में निहित है ? क्या सरकार बतायेगी कि तहसील नकुड़, जनपद सहारनपुर में दिनांक 3-5-16 को आयोजित तहसील दिवस में प्रार्थना-पत्र संख्या-10 जो कि ग्राम कुण्डा खुर्द की बंजर श्रेणी की भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि में परिवर्तन कराने सम्बन्धित है पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

लैण्ड रिकार्ड मैनुअल के अध्याय 8-क के क-155-क के क्रम संख्या-09 के अनुसार एक वर्ग के खाते का दूसरे वर्ग के खाते में संक्रमित होने के संबंध में इन्द्राज के लिए सक्षम अधिकारी परगना के प्रभारी अधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर हैं, परन्तु उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा-77 के अनुसार लोक प्रयोजन की भूमि की श्रेणी के परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार अधिकृत है। तहसील नकुड़ जनपद सहारनपुर में दिनांक 03-5-2016 को आयोजित तहसील दिवस में प्रार्थना-पत्र संख्या 10 ग्राम बासदेवा मु0 के खसरा नम्बर-107-म में तालाब दर्ज कराये जाने हेतु प्राप्त हुआ था, जो कार्यवाही हेतु खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह को प्रेषित किया गया। खण्ड विकास अधिकारी की आख्या के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर अभिलेखों में यह भूमि तालाब दर्ज न होने के कारण तालाब खुदाई कार्य नहीं किया जा सकता है। बंजर श्रेणी की भूमि को तालाब दर्ज कराने हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव दिनांक 25-4-2013 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी, परन्तु इस प्रस्ताव पर तत्समय कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 03-5-2016 को उक्त प्रस्ताव के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु प्रस्ताव दिनांक 25-4-2013 के अत्यन्त काल बाधित होने तथा फरवरी, 2016 से उ0 प्र0 राजस्व संहिता, 2006 लागू होने के कारण उक्त प्रार्थना- पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में

14-श्री नाहिद हसन-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान में कितनी दूरी के बाद प्राइमरी स्कूल खोला जाता हैं ? क्या सरकार गुलशन नगर व दभेड़ी खुर्द ब्लॉक कैराना, जनपद शामली की असेवित बस्तियों में सरकार उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 की धारा 4.1 के अन्तर्गत नवीन विद्यालय खोलने हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित हैं :-

प्राथमिक विद्यालय कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 01 किलोमीटर के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है।

गुलशन नगर, नगर पालिका परिषद्, कैराना की वाह्य बस्ती है। गुलशन नगर 450 मीटर की दूरी पर स्थापित प्राथमिक विद्यालय, दरबार कला, कैराना से सेवित है।

बस्ती दभेड़ी खुर्द में प्राथमिक विद्यालय, दभेड़ी खुर्द संचालित है। अतः बस्ती मानक के अनुसार सेवित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मानक के अनुसार सेवित होने के कारण।

15-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[02 बुधवार के अता0प्र0सं0-158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूमि संरक्षण अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में 10-01-2015 से 10-01-2019 तक कराये गये कार्यों का विवरण

16-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संसाधन भूमि संरक्षण अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 10-01-15 से 10-01-19 तक प्रत्येक वर्ष कराये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

जी हां। भूमि संरक्षण अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 10-01-2015 से 10-01-2019 तक प्रत्येक वर्ष कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

योजना का नाम-प्रक्षेत्र विकास कार्य-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण/नाम	लम्बाई (कि0मी0)	व्यय धनराशि (लाख रु0 में)
1	2014-2015	पक्की गूल	0.00	0.00
2	2015-2016	तदेव	2.842	46.34
3	2016-2017	तदेव	3.859	49.67
4	2017-2018	तदेव	0.875	17.32
5	2018-2019	तदेव	0.00	0.00

योजना का नाम-आई0डब्लू0एम0पी0-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण/नाम	कार्य की मात्रा	व्यय धनराशि (लाख रु0 में)
1	2014-2015	सी0बी0, (हे0)	13	7.02
		तालाब, (सं0)	05	
2	2015-2016	सी0बी0, एम0बी0, पी0एफ0बी0, (हे0)	938	133.46
		तालाब, संरचना, चेकडैम (सं0)	58	
		वृक्षारोपण (सं0)	1050	
3	2016-2017	सी0बी0, एम0बी0, पी0एफ0बी0, (हे0)	470	158.03
		तालाब, संरचना, चेकडैम (सं0)	65	
		वृक्षारोपण (सं0)	4003	
4	2017-2018	सी0बी0, एम0बी0, पी0एफ0बी0, (हे0)	254	72.94
		तालाब, संरचना, चेकडैम (सं0)	31	
		वृक्षारोपण (सं0)	0	
5	2018-2019	सी0बी0, एम0बी0, पी0एफ0बी0, (हे0)	0	0.00
		तालाब, संरचना, चेकडैम (सं0)	0	
		वृक्षारोपण (सं0)	0	

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत कटरा वि0स0 क्षेत्र के पुलिस थानों की संख्या, आबादी के अनुसार पुलिसकर्मियों की तैनाती का मानक व उपलब्धता का विवरण

17-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत कितने पुलिस थाने पूर्ण रूप से तथा कितने आंशिक रूप से आते हैं तथा उक्त थानों में थानेवार आबादी के अनुसार कितने पुलिसकर्मी तथा कितने सब इन्सपेक्टर की तैनाती होनी चाहिये तथा वर्तमान समय में उनके सापेक्ष कितने पुलिस कर्मी व कितने सब इन्सपेक्टर थानेवार तैनात है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत खुदागंज, कटरा, जैतीपुर, गढिया रंगीन थाने पूर्ण रूप से आते हैं तथा निगोही, मदनापुर, तिलहर, परौर व जलालाबाद थाने आंशिक रूप से आते हैं।

आबादी के अनुसार उपरोक्त थानों पर तैनाती का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	नाम थाना	निरी0/थानाध्यक्ष		उ0 नि0		मु0 आ0	
		नियतन	उपलब्धता	नियतन	उपलब्धता	नियतन	उपलब्धता
1	खुदागंज	1	1	6	9	7	1
2	कटरा	1	2	7	5	10	4
3	गढिया रंगीन	1	1	5	3	6	1
4	जैतीपुर	1	1	5	5	7	3
5	मदनापुर	1	1	6	8	8	4
6	परौर	1	0	5	5	6	3
7	जलालाबाद	1	1	12	11	15	7
8	तिलहर	1	1	12	10	15	8
9	निगोही	1	1	7	10	8	8

क्र0 सं0	नाम थाना	आरक्षी/म0आरक्षी		कम्प0 आपरे0	
		नियतन	उपलब्धता	नियतन	उपलब्धता
1	खुदागंज	30	31	-	1
2	कटरा	40	44	-	1
3	गढिया रंगीन	25	26	-	1
4	जैतीपुर	25	32	-	1
5	मदनापुर	30	25	-	1
6	परौर	25	25	-	1
7	जलालाबाद	80	45	-	1
8	तिलहर	65	42	-	1
9	निगोही	50	37	-	1

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी के ग्राम चकजंगली, परगना व तहसील मुसाफिरखाना में चारागाह पर कब्जे से सम्बन्धित जिलाधिकारी को सम्बोधित शिकायत पर कार्यवाही

18-श्री सूर्यभान सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, अमेठी को सम्बोधित ग्राम चकजंगली, परगना तहसील मुसाफिरखाना में चारागाह पर कब्जा कर मकान बना लेने तथा गांववासियों का रास्ता बन्द कर देने की मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच पी0आई0एल0

नं0-2133/17 पारित आदेश दिनांक 30-01-2017 सहित जनसुनवाई सं0 377 दिनांक 24-03-2017 का शिकायती-पत्र प्रहलाद व रामजश वर्मा आदि ग्रामवासियों द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम चकजंगली की गाटा सं0-28/0.278 हे0 व गाटा सं0 26/0.132 हे0 चारागाह के खाते में अंकित है। गाटा सं0 28मि0/0.0300 हे0 पर अमानत बेग सुत उमेद बेग व गाटा सं0 28मि0/0.0190 हे0 सलामत बेग सुत उमेद बेग तथा गाटा सं0 26/0.0170 हे0 पर साबिर बेग सुत अमानत बेग, नि0 ग्राम चकजंगली, तह0 मु0खाना, जनपद अमेठी के द्वारा 12 वर्ष पूर्व अवैध कब्जा कर पक्के मकान बना लिये गये हैं। गाटा सं0 28/0.2780 हे0 गाटा सं0-26/0.1320 हे0 के बीच से सड़क जाता है जिसपर आवागमन हेतु कोई अवरोध नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31-01-2017 के अनुपालन में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आर0सी0 प्रपत्र-19 पर अवैध अध्यासियों/अवैध कब्जेदारों अमानत बेग व सलामत बेग सुतगण उमेद बेग एवं साबिर बेग सुत अमानत बेग, ग्राम चकजंगली, परगना व तहसील मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी के विरुद्ध ग्राम सभा बनाम सलामत बेग, ग्राम सभा बनाम साबिर बेग, ग्राम सभा बनाम अमानत बेग क्रमशः उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत बेदखली का वाद न्यायालय तहसीलदार, मुसाफिरखाना के यहां संस्थित किया गया, जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के ग्राम करियाही, विकास खण्ड बहरिया में बिना कार्य कराये सरकारी धन निकाल कर गबन करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

19-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत करियाही, विकास खण्ड बहरिया, जनपद प्रयागराज में बिना कार्य कराये सरकारी धन निकाल कर गबन करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र जनसुनवाई सन्दर्भ सं0-40017517016934 दिनांक 12-10-2017 जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रयागराज द्वारा पत्रांक 5308, दिनांक 13-10-2017 के साथ सहायक विकास अधिकारी (पं0) विकास खण्ड बहरिया को प्रेषित किया गया है ? उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-

जी हां।

जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 06-2-2019 द्वारा आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि सहायक विकास अधिकारी (पं0) बहरिया द्वारा प्रकरण की जांच की गयी, जिसमें सोहन का घर तथा जमुना की मशीन दोनों अलग-अलग स्थलों पर स्थित है तथा दोनों के मध्य 01 कि0मी0 की दूरी है। प्रियासाफ्ट के साफ्टवेयर पर वर्ष 2016-17 में यह कार्य माह मार्च, 2017 में कराया जाना अंकित है। जिस पर कुल मु0 143344.00 रु0 व्यय दिखाया गया है। इस कार्य के बावत जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि यह कार्य श्री राम सजीवन के घर के पास से श्री विजेन्द्र के घर तक बना हुआ है। इसी मार्ग पर श्री सोहन का चक है।

अतः जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही नहीं पायी गई। महमदपुर लिंक मार्ग पर सूरज मिश्रा के घर से शिव प्रताप मिश्र जो वास्तव में शिव प्रसाद मिश्र है के घर तक इण्टरलाकिंग खड़न्जा बिछाया गया है। यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। श्री शिव प्रसाद मिश्र के घर के आगे विशम्भर नाथ तिवारी एवं कुछ गैप के बाद चन्द्रशेखर एवं आदित्य तिवारी के घर तक जिला पंचायत द्वारा कराया गया है। भौतिक सत्यापन के दौरान सूरज मिश्रा एवं शिव प्रसाद मिश्रा के परिवार एवं आस-पास के निवासियों से पूछ-ताछ की गई, जिसमें अभिलेखों के अनुसार इस कार्य पर रु0 226585.00/- का व्यय किया गया है। जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही नहीं पायी गई। इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा जांच की गई प्रथम दृष्टया शिकायत सत्य नहीं पायी गई।

प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में मानक के अनुरूप शिक्षकों के पद की जानकारी

20-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में कक्षा-6 से 8 तक शिक्षक और छात्रों के अनुपात का वर्तमान में क्या मानक निर्धारित है ? क्या वर्ष 1975 के पूर्व के विद्यालयों में जिनमें पहले ही प्रति कक्षा एक से अधिक सेक्शन और छात्रों के अनुपात में शिक्षकों के पद सृजित है उनमें भी यह मानक लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो उनमें क्या मानक तय है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

27 जुलाई, 2011 से शिक्षा अधिकार अधिनियम उ0 प्र0 में लागू किये जाने के उपरान्त अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक और छात्र अनुपात निम्नवत् है :-

1-कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो :-

क-विज्ञान और गणित।

ख-सामाजिक अध्ययन।

ग-भाषा।

2-प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक।

3-जहां 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां -

क-एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक।

ख-अंशकालिक शिक्षण के लिए (मानदेय पर अनुदेशक)-

(अ) कला शिक्षा।

(आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा।

(इ) कार्य शिक्षा।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रस्तर-1 में विवरण उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद वाराणसी की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम लहरतारा में स्थित आराजी नं0-1134 श्री हनुमान जी विराजमान मन्दिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर कार्यवाही

21-श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-222/ए0डी0एस0/2018, दि0 30-11-2018 जो कि जनपद वाराणसी की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम लहरतारा में स्थित आराजी नं0-1134 श्री हनुमान जी विराजमान मन्दिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम लहरतारा, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जनपद वाराणसी में स्थित आराजी नम्बर-16/1 रकबा 0.045 हे0 जो काश्तकारों के नाम से है, जिसमें लगभग 50 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर मय सहन के रूप में आबाद है तथा 16/2 रकबा 0.162 हे0 भूमि श्री हनुमान जी विराजमान मन्दिर के नाम से अभिलेख में दर्ज है। जबकि आराजी नम्बर 16 का वास्तविक रकबा 1291 फसली के मुताबिक जिल्द बन्दोबस्त से मात्र 0.065 हे0 अंकित है। वर्तमान भू-चित्र के मुताबिक आराजी नम्बर 16 की आकृति भी मात्र 0.065 हे0 की ही है, जिसमें आबादी के साथ-साथ रास्ता भी कायम है। मौके पर कोई भी भूमि रिक्त नहीं है। आराजी नम्बर-16 में मौके पर कोई मन्दिर स्थित नहीं है। विधान सभा प्रश्न में वर्णित आराजी नम्बर-1134 मौजा लहरतारा में नहीं है। चूंकि प्रकरण निजी भूमिधरी से सम्बन्धित है, बिना काश्तकार के आवेदन के कोई भी कार्यवाही प्रशासनिक स्तर पर सम्भव नहीं है। नियमानुसार आवेदक द्वारा सुसंगत धाराओं में आवेदन कर अभिलेख दुरुस्तीकरण के पश्चात् ही कोई कार्यवाही की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के ग्राम खुटहन (हबना), पोस्ट खुटहन, परगना अगुली, तहसील शाहगंज के तालाब/खलिहान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में

22-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ग्राम खुटहन (हबना), पोस्ट खुटहन, परगना-अंगुली, तहसील शाहगंज के आराजी संख्या-1194, 1200, 1202, 1204, 1234, 1239, 1240, 1241, 1216, 1231, 1232 तथा 1233 तालाब/गड्ढा खहिलान नवीन परती/भीटा आदि के नाम से दर्ज है ? उक्त भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम का नवीन नक्शा राजस्व परिषद् से मंगाये जाने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय के पत्रांक 245/आर0आर0 के जौनपुर दिनांक 23-02-2018 द्वारा राजस्व परिषद् को पत्र भेजा

गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव का नवीन नक्शा राजस्व परिषद् से मंगाकर उक्त भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराकर तालाब का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद जौनपुर के ग्राम खुटहन (हबना), पो0 खुटहन, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज के आराजी संख्या 1194, 1200, 1202, 1204, 1234, 1239, 1240, 1241, 1216, 1231, 1232 तथा 1233 राजस्व अभिलेखों में बंजर खाते में तालाब/गड्ढा खलिहान नवीन परती/भीटा आदि के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जे के संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम खुटहन का नक्शा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। उक्त नक्शा जनपद के राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी, जौनपुर कार्यालय के पत्रांक 245/आर0 आर0 के0-जौनपुर, दिनांक 23.02.2018 द्वारा राजस्व परिषद् को पत्र प्रेषित किया गया है। नक्शे की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम कॉथा के मोहल्ला रमना में स्थित भूमि खसरा सं0 2288, 2292 पर अवैध कब्जे के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी

23-श्री राम अचल राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम कोंथा के मोहल्ला रमना में स्थित भूमिधरी की निजी भूमि खाता संख्या 02325, खसरा संख्या-2288, 2292 पर उक्त गांव के ही कतिपय लोगों द्वारा सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर आवास निर्माण कराये जाने की सूचना तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, असोहा, उन्नाव ने पत्र संख्या-2092, दिनांक 08 मार्च, 2018 द्वारा जिलाधिकारी उन्नाव को दी है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में संलिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या विधिक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी, असोहा, जनपद उन्नाव के पत्र संख्या 2092, दिनांक 08 मार्च, 2018 द्वारा शिकायती-पत्र की जांच आख्या जिलाधिकारी, उन्नाव को प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि विकास खण्ड असोहा की ग्राम पंचायत कॉथा के मोहल्ला रमना निवासी श्रीमती किरन पत्नी श्री बुद्धीलाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से स्वयं दूसरे की जमीन पर आवास बनवाया गया है। विवादित भूमि पर बुद्धीलाल आदि के घर बैनामे से पूर्व के बने हुए हैं। विवादित भूमि पर बने आवासों के संबंध में प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

जांच के क्रम में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं लेखाकार को कार्यालय आदेश सं0 63, 64, 65, दिनांक 10-04-2018 द्वारा पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने हेतु प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-

[03 मंगलवार हेतु स्थगित]

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम कॉथा के मोहल्ला रमना में चयनित स्थान से अन्यत्र दूसरे भूमिधरी की निजी भूमि पर शौचालयों के निर्माण में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

25-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018 में जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम कांथा के मोहल्ला रमना में लाभार्थियों/ठेकेदारों द्वारा चयनित स्थान से अन्यत्र दूसरे भूमिधरी की निजी भूमि पर शौचालयों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये सरकारी धनराशि की वसूली सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

शौचालय निर्माण में बरती गयी अनियमितता एवं धनराशि दुरुपयोग के मामले में जिला विकास अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय आदेश सं0-2630, दिनांक 12-12-2018 द्वारा संबंधित सचिव, ग्राम पंचायत को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रकरण में वाद संख्या-239/17 श्रीमती फूलमती बनाम युद्धीलाल मा0 न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, पुरवा, उन्नाव में योजित है। इस भूमि में पूर्व से काबिज व्यक्तियों को बेदखल किये जाने का कोई आदेश मा0 न्यायालय द्वारा पारित नहीं है।

रिट याचिका सं0-50033/2015 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-09-2015 के अनुपालन में राजस्व अनुभाग-9, उ0 प्र0 शासन द्वारा दिनांक 16-09-2015 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में निजी पक्षकारों के मध्य अचल सम्पत्ति के ऐसे प्रकरणों पर, जिनमें वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है अथवा जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किये गये, में प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्रों पर प्रशासनिक आदेश पारित न किये जाने के क्रम में मा0 न्यायालय से प्राप्त अग्रिम आदेशों के क्रम में सक्षम स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विद्युत अनुरक्षण खण्ड लोक निर्माण विभाग में कार्यरत राजकुमार राव की निर्मम हत्या की जांच के सम्बन्ध में

26-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री असलम अली, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 20-12-2018 जो कि विद्युत अनुरक्षण खण्ड लोक निर्माण विभाग में कार्यरत राजकुमार

रावत नि0 सेमनापुर, थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ की दिनांक 29 मई, 2018 की निर्मम हत्या की जांच क्राइम ब्रांच से कराने विषयक है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को उक्त अपराध की जांच क्राईम ब्रान्च, लखनऊ से कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 में मध्यान्ह भोजन वितरण योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में संचालित विद्यालयों में मथुरा की भांति अक्षय पात्र संस्था द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण के सम्बन्ध में

27-श्री मनीष असीजा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मध्याह्न भोजन वितरण योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में संचालित विद्यालयों में मथुरा जिले के भांति अक्षय पात्र संख्या द्वारा मध्याह्न भोजन वितरण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद मथुरा में अक्षयपात्र संस्था द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद फिरोजाबाद में अक्षयपात्र संस्था द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के अन्तर्गत राजस्व गांवों में बारिश से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिये जाने विषयक

28-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गांवों/मजरों में गत माह पूर्व हुई बारिश में किसानों/मजदूरों के कच्चे मकान गिरने तथा मृतकों के परिजनों एवं फसल नष्ट होने पर मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था की है किन्तु उक्त मुआवजा पीड़ित किसानों/मजदूरों को नहीं मिला है ? यदि हां, तो उक्त किसानों/मजदूरों को मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों/मजरों में बरसात में जिन किसानों/मजदूरों के कच्चे मकान गिर गये थे, उन व्यक्तियों को तथा तहसील मोहनलालगंज में दैवीय आपदा से हुई जनहानि से पीड़ित परिवारों को दैवीय आपदा मद से शत-प्रतिशत राहत सहायता वितरित कर दिया गया है। राहत सहायता हेतु अब कोई प्रकरण अवशेष नहीं हैं। तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत फसलों की क्षति 33 प्रतिशत से कम होने के कारण शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार कृषि निवेश अनुदान देय नहीं है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र में संचालित सरकारी प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

29-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र में संचालित सरकारी प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय जर्जर हैं एवं उनमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिये पर्याप्त कमरे न होने से बच्चे खुले आसमान में पढ़ते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का पुनर्निर्माण कराकर प्रत्येक कक्षा अलग कमरों में संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहनलालगंज में 27 एवं विकास खण्ड गोसाईंगंज में 06 विद्यालय जर्जर स्थिति में हैं। परन्तु विकास खण्ड मोहनलालगंज में 03 विद्यालयों को छोड़कर शेष ऐसे विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष उपलब्ध हैं। कोई बच्चा खुले आसमान में नहीं पढ़ता है।

जी हां।

धनराशि उपलब्ध होते ही निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम नन्दौली में ग्राम सभा की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में

30-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम नन्दौली में ग्राम सभा की कई बीघा भूमि पर गांव के ही दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम नन्दौली में अवैध कब्जेदारों से भूमि खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

राजस्व एवं पुलिस टीम के साथ दिनांक 04-02-2019 को अतिक्रमित भूमि गाटा संख्या-1055/1.556 हे0 व 1094/2.542 हे0 कुल 4.098 हे0 पर अवैध कब्जेदारों द्वारा गेहूं की फसल लगाकर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे जे0सी0बी0 से हटवाकर ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। शेष अवैध कब्जेदारों द्वारा पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया था, जिनके विरुद्ध उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा 67(1) के अन्तर्गत वाद संख्या टी 201910460302051, रज्जाक पुत्र अलीम खान गाटा संख्या-635/0.025 हे0 व वाद टी 201910460302052, लियाकत अली पुत्र इशहाक गाटा संख्या-622/0.025 हे0 (बंजर) पर बेदखली का वाद तहसीलदार (न्यायिक), मोहनलालगंज के न्यायालय में योजित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली के सम्बन्ध में

31-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्तियों में हुयी अनियमितता की जांच हेतु गठित एस0टी0एफ0 द्वारा कुल कितनी एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी हैं ? क्या सरकार फर्जी शिक्षकों व फर्जी शिक्षक नियुक्तियों के जिम्मेदार नियुक्ति प्राधिकारियों/बेसिक शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्तियों में हुई अनियमितता की जांच हेतु गठित एस0टी0एफ0 द्वारा थाना कोतवाली, सीतापुर में मु0अ0सं0 625/18, थाना कोतवाली, अम्बेडकरनगर में मु0अ0सं0 285/18, थाना कोतवाली, बलरामपुर में मु0अ0सं0 241/18, थाना कोतवाली, मथुरा में मु0अ0सं0 837/18, भा0दं0वि0 की धारा 419/420/467/468/471 के अन्तर्गत कुल 04 (चार) एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में 01 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2018 के मध्य हुई अपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में

32-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2018 के मध्य जनपद मथुरा में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चोरी की कुल कितनी घटनायें पंजीकृत हुयी हैं ? क्या सरकार जनपद मथुरा में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। आलोच्य अवधि में जनपद मथुरा में लूट के 143, डकैती के 14, हत्या के 108, बलात्कार के 156, दोपहिया वाहन के 1049 तथा चार पहिया वाहन के 111 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

जनपद मथुरा में योजनाबद्ध तरीके से अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी गस्त, पुलिस बल द्वारा किया जा रहा है तथा चेतक मोबाइल के रूप में मोटर साइकिल से गश्त किया जा रहा है। डायल 100 की सेवा प्रभावी रूप से की जा रही है तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी रात्रि में भ्रमण किया जा रहा है। बलात्कार/छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए एन्टी रोमियो स्क्वाड प्रभावी कार्य कर रहा है। जनपद मथुरा में अपराध नियंत्रण में है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में माह जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 के मध्य घटित अपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में

33-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में माह जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 के मध्य हत्या अपहरण, डकैती, लूट छिनैती, चैन स्नेचिंग, बलात्कार की कितनी-कितनी प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा कितनी घटनाओं की जांच पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी और कितने अपराधी जेल भेज गये हैं तथा कितने अपराधी अभी तक पकड़े नहीं जा सके है ? क्या सरकार दोषी अपराधियों को पकड़ने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

अपराध का शीर्षक	दर्ज की गयी प्राथमिकी का विवरण	जांच पूर्ण कर अन्तिम रिपोर्ट लगाये गये अभियोगों की संख्या	जेल भेजे गये अपराधियों की संख्या	गिरफ्तारी हेतु शेष अपराधियों की संख्या
हत्या	504	129	942	51
अपहरण	2378	1564	1299	132
डकैती	16	01	102	02
लूट	281	43	498	12
छिनैती	00	00	00	00
चैनस्नेचिंग	189	45	213	04
बलात्कार	604	125	610	49

दोषी अपराधियों को पकड़ने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को दी जा रही शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति में वृद्धि के सम्बन्ध में

34-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-ई/4264/15-(14)-25(34)/72, दिनांक 7-11-1986 द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति के रूप में जो दर तय की गयी थी वहीं अभी तक दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1986 से महंगाई दर कई गुना बढ़ गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती हुयी महंगाई के दृष्टिगत उक्त शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद में ग्राम सभा परसऊ में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में

35-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसऊ, पोस्ट शुजागंज, जनपद फैजाबाद में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज शिकायत सन्दर्भ सं0-41017718001734 के सापेक्ष सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज शिकायत संदर्भ संख्या-41017718001734 की जांच तहसीलदार, रूदौली द्वारा की गयी। जांच आख्या के अनुसार प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम परसऊ, परगना व तहसील रूदौली, जनपद अयोध्या की पुरानी आबादी की भूमि से सम्बन्धित है। यह भूमि भू-अभिलेखों में श्रेणी-6(2) अकृषिक भूमि स्थल, सड़क रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषिक उपयोगों में लायी जाती हो, के रूप में दर्ज है।

जनपद बागपत के वि0स0 क्षेत्र छपरौली के ग्राम दाहा में स्थित इण्टर कालेज को अपग्रेड करके डिग्री कालेज बनाने की मांग

36-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में ग्राम दाहा में राजकीय इण्टर कालेज अपग्रेड करके डिग्री कालेज करने से उस क्षेत्र के बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में आसानी होगी ? यदि हां, तो क्या ग्राम दाहा में इण्टर कालेज को अपग्रेड करके डिग्री कालेज सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम दाहा में राजकीय इण्टर कालेज अपग्रेड करे डिग्री कालेज किये जाने का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में 01 राजकीय महाविद्यालय, 01 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 05 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बागपत में 01 राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है।

वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम दाहा में राजकीय इण्टर कालेज अपग्रेड करके डिग्री कालेज की स्थापना/उच्चीकरण किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद अम्बेडकरनगर के वि0ख0 जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मंगुराडिला में ग्राम सभा द्वारा पंचायत भवन हेतु भूमि को भू-माफियाओं से खाली कराने के सम्बन्ध में

37-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर अन्तर्गत ग्राम सभा मंगुराडिला में ग्राम सभा द्वारा पंचायत भवन हेतु प्रस्तावित 0-87 एअर गाटा 1654 ख भूमि पर निर्मित पंचायत भवन की बची अधिकांश भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर मकान बना लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत भवन की भूमि को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पुलिस थानों द्वारा भेजे जाने वाले नमूनों की फॉरेसिंक साइंस लैबरोटरीज में की जा रही जांच के सम्बन्ध में

38-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस थानों द्वारा भेजे गये जांच नमूनों का विश्लेषण फारेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज द्वारा कितने कार्य दिवसों में पूर्ण कर थानों को वापिस भेजा जाता है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद सहारनपुर व शामली के कितने जांच नमूने दिनांक 06-11-2018 तक विश्लेषण हेतु एफ0सी0एल0 आगरा में विचाराधीन हैं तथा किस तिथि तक इन जांच नमूनों का विश्लेषण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0 प्र0 में प्राप्त होने वाले जांच नमूनों का परीक्षण प्राप्ति क्रमानुसार किया जाता है। परीक्षण हेतु क्रम पर आने पर सामान्यतः परीक्षण में 07 से 45 दिवस का समय लगता है। यह प्रदर्शों की प्रकृति, प्रकार एवं संख्या पर निर्भर करता है।

दिनांक 06-11-2018 तक जनपद सहारनपुर के 400 एवं जनपद शामली के 291 जांच नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा में परीक्षण हेतु लम्बित थे।

वर्तमान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा में जनपद सहारनपुर के 232 एवं जनपद शामली के 170 जांच नमूने लम्बित हैं। उपरोक्त सभी नमूनों का परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के तह0 कैराना व ऊन में 16 ग्रामों की खतौनी तैयार करने एवं हरियाणा राज्य की सीमा पर स्तंभों के कार्य को पूरा कराने के सम्बन्ध में

39-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या-997/1-14-2005-49(12/93), लखनऊ, दिनांक 21-10-2005 जो कि दीक्षित अवॉर्ड के अन्तर्गत

तहसील कैराना व ऊन जनपद शामली के 16 ग्रामों की खतौनी तैयारी के कार्य से सम्बन्धित थी, के क्रम में खतौनी तैयारी का कार्य तथा उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्य की सीमा पर सीमा स्तम्भों का कार्य पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा विवाद के समाधान व दोनों राज्यों के मध्य सीमा निर्धारण हेतु दिनांक 14-02-1975 को (दीक्षित अवार्ड) घोषित किया गया था, जिसके अन्तर्गत दोनों राज्यों के बीच वर्ष 1974 में यमुना नदी की गहरी धारा को आधार मानकर सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा सीमा का निर्धारण कर पीलर्स लगवा दिये गये थे। दीक्षित अवार्ड को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम, 1979 बनाया गया, जो दिनांक 15-09-1983 से प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत हरियाणा प्रान्त के 15 ग्रामों से क्षेत्रफल 1624 एकड़ भूमि तत्कालीन जनपद मुजफ्फरनगर सम्प्रति जनपद शामली की तहसील कैराना व ऊन के 16 ग्रामों में अन्तरित हुई है। उत्तर प्रदेश-हरियाणा राज्यों की सीमा विवाद को सुलझाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 997/1-14-2005-49(12/93) लखनऊ, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत तहसील कैराना व ऊन 16 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें शुरू की गयी। तहसील कैराना व ऊन के 16 ग्रामों क्रमशः सहपत, अहतमाल साबिक, मामौर, अहतमाल साबिक, रामड़ा, मवी अहतमाल साबिक, बल्हेडा, मौहम्मदपुर राई, बसेड़ा अहतमाल, मंडावर, पठेड, बिडौली, भडी, नंगलाराई अहतमाल साबिक, शीतलगढ़ी, मंगलौरा अहतमाल कदीम, नाईनंगला (बिडौली) में सर्वे एवं अभिलेख क्रियाओं हेतु अभिलेख सर्वे टीम को उपलब्ध करा दिये गये हैं। उक्त कार्य हेतु वर्तमान में 01 सर्वे कानूनगो, 03 सर्वे लेखपाल सम्बद्ध हैं, जिनके द्वारा उपरोक्त ग्रामों की खतौनी तैयारी कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्य की सीमा पर सर्वे आफ इण्डिया की निशानदेही के आधार पर सीमा स्तम्भों की स्थापना का कार्य लोक निर्माण विभाग, शामली द्वारा कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली व जनपद सहारनपुर के राजस्व न्यायालय में आयोजित वादों के त्वरित निस्तारण सम्बन्धी

40-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-274/एक-4-2018, दिनांक 9 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-397/एक-4-2018, दिनांक 28 फरवरी, 2018 के द्वारा राजस्व वादों के त्वरित/समयबद्ध निस्तारण हेतु आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त के अनुपालन में जनपद शामली व जनपद सहारनपुर के सभी राजस्व न्यायालयों में योजित वादों का समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से न्यायालय समयबद्धता व त्वरित निस्तारण में असफल रहे हैं ? क्या सरकार उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

शासनादेश संख्या-274/एक-4-2018, दिनांक 9 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-397/एक-4-2018, दिनांक 28 फरवरी, 2018 के अनुपालन में जनपद शामली एवं जनपद सहारनपुर के सभी राजस्व न्यायालयों में योजित वादों का समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत दृष्टिबाधित कर्मियों को सामान्य कार्मिक की भांति पदोन्नति सुलभ कराने के सम्बन्ध में

41-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में कार्यरत दृष्टिबाधित कर्मियों को सामान्य कार्मिक की भांति पदोन्नति सुलभ कराने तथा पदोन्नति में आरक्षण नियमों के तहत अग्रेतर नोशनल पदोन्नति न्याय एवं कार्मिक विभाग की संस्तुतियों के बाद भी सम्बन्धित सेवा नियमावली में पूर्वगामी तिथियों से अनुमन्य कराते हुये नोशनल पदोन्नति का लाभ इन कर्मियों को कब तक सुलभ हो पायेगा ? क्या सरकार उक्त कर्मियों को सामान्य कर्मियों के सुलभ वेतन भत्ते सहित अन्य सेवा लाभ कब तक स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 03-02-2008 द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के प्रक्रम पर दिव्यांगजन को आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देश के प्रस्तर-16 के अनुसार सामान्य विचारण क्षेत्र में दिव्यांगजन की उपयुक्त श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने पर आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षों तक अग्रनीत किये जाने का प्राविधान है। शासनादेश दिनांक 03-02-2008 के प्राविधानानुसार दिव्यांगजन को पदोन्नति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेश में नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की व्यवस्था न होने के कारण पूर्वगामी तिथि से उक्त लाभ अनुमन्य किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में

42-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के नियमानुसार लगभग 150 से अधिक महाविद्यालयों के समूह को उच्च शिक्षा में अध्ययन-अध्यापन, पठन-पाठन एवं उच्च अनुसंधान को विकसित करने हेतु एक विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार गाजीपुर जनपद में स्थापित लगभग 250 से अधिक महाविद्यालय के समूह को दृष्टिगत रखते हुये एक विश्वविद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्तर-1 के अनुसार।

जनपद गाजीपुर में अक्टूबर, 2018 तक बाढ़ से हुए नुकसान की सूचना एवं तटबंधों को मजबूत करने की कार्य योजना विषयक

43-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में माह अगस्त, 2017 से माह अक्टूबर, 2018 तक बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है ? क्या सरकार की भविष्य में तटबन्धों को मजबूत करने व बाढ़ नियंत्रण की कोई कार्य योजना है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद गाजीपुर में माह अगस्त, 2017 से माह अक्टूबर, 2018 तक बाढ़ से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।

गोविन्दपुर असावर तटबन्ध-इस तटबन्ध की कुल लम्बाई 17.200 कि0मी0 है। यह तटबन्ध गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद एवं बाराचवर में टोन्स नदी के दाहिने तट पर निर्मित है। यह तटबन्ध संवेदनशील अथवा अतिसंवेदनशील श्रेणी में नहीं है।

बेरूकही रिंग तटबन्ध-इस तटबन्ध की कुल लम्बाई 2.700 कि0मी0 है। यह तटबन्ध गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद के गोधनी ड्रेन के बायें तट पर निर्मित है। यह तटबन्ध संवेदनशील अथवा अतिसंवेदनशील श्रेणी में नहीं है। वर्तमान में उक्त दोनों तटबन्ध सुरक्षित हैं।

जनपद गाजीपुर के सदर तहसील के अन्तर्गत गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित समूह पुरैना, बयेपुर, सोकनी, बड़हरिया, रफीपुर, दीनापुर, श्री शिव पूजन बाबा आश्रम के पास कटान के कारण क्षति हुई है। उपरोक्त ग्रामों की कटान से सुरक्षा हेतु परियोजना का गठन किया गया है।

जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के अन्तर्गत गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम समूह शेरपुर सेमरा की सुरक्षा हेतु पूर्व में कराये गये कटान निरोधक कार्यों की पुनरुद्धार हेतु वर्तमान समय में कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के शाहगंज तह0 अंगुली के ग्राम खुटहन के गाटा संख्या 1200, 1204, 1234 पर अवैध कब्जे को हटवाने विषयक

44-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के शाहगंज तहसील, परगना अंगुली के अन्तर्गत ग्राम सभा-खुटहन (हबना) के गाटा संख्या-1200, 1204, 1234 नवीन परती भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है ? उक्त भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जानें की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज, परगना अंगुली के अन्तर्गत ग्राम सभा खुटहन (हबना) के गाटा संख्या-1200, 1204, 1234 राजस्व अभिलेख में नवीन परती खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जे के संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम खुटहन का नक्शा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। उक्त नक्शा जनपद के राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी, जौनपुर कार्यालय के पत्रांक 245/आर0आर0के0-जौनपुर, दिनांक 23-02-2018 द्वारा राजस्व परिषद् को पत्र प्रेषित किया गया है। नक्शे की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के शाहगंज तह0 अंगुली के ग्राम खुटहन के गाटा संख्या 1220, 1232, 1233 व 1240 पर अवैध कब्जे को हटवाने विषयक

45-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के शाहगंज तहसील, परगना अंगुली के अन्तर्गत ग्राम सभा-खुटहन (हबना) के गाटा संख्या-1220, 1232, 1233 एवं 1240 भीटा/बंजर भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है ? उक्त भूमि पर दबंगों/भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज, परगना अंगुली के ग्राम सभा खुटहन (हबना) की गाटा संख्या-1220, 1232, 1233 एवं 1240 राजस्व अभिलेख में बंजर खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जे के संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम खुटहन का नक्शा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। उक्त नक्शा जनपद के राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी, जौनपुर कार्यालय के पत्रांक 245/आर0आर0के0-जौनपुर, दिनांक 23-02-2018 द्वारा राजस्व परिषद् को पत्र प्रेषित किया गया है। नक्शे की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में राजकीय मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराने विषयक

46-श्री पारसनाथ यादव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर में वर्ष 2017 से निर्माण कार्य धनाभाव के कारण रुका पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार धन अवमुक्त कर उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'')-

जी नहीं। मेडिकल कालेज, जौनपुर का निर्माण कार्य मार्च, 2015 से प्रारम्भ हुआ। मेडिकल कालेज, जौनपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक रु0 20711.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

47-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[दिनांक 11-02-2019 को अता0प्र0सं0-16 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ के वि0स0क्षे0 गोपालपुर के परशुरामपुर में तहसील बनाने विषयक

48-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के परशुरामपुर को तहसील बनाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता के हितों को देखते हुये परशुरामपुर में तहसील बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नई तहसील का सृजन उ0 प्र0 राजस्व संहिता, 2006 एवं उ0 प्र0 राजस्व संहिता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वित्त एवं न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त करते हुए मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन से किया जाता है। प्रकरण में राजस्व परिषद् द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ़ से आख्या मांगी गयी है। जिलाधिकारी, आजमगढ़ से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त राजस्व परिषद् द्वारा शासन को प्रस्ताव में सुसंगत नियमों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

प्रदेश में नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति विषयक

49-श्री सीताराम वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नायब तहसीलदारों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। वर्तमान में प्रदेश में नायब तहसीलदारों के कुल स्वीकृत 1234 पदों के सापेक्ष कुल 921 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रदेश में नायब तहसीलदारों के कुल स्वीकृत पदों में से सीधी भर्ती हेतु चयन वर्ष 2016 हेतु कुल 209 पदों तथा चयन वर्ष 2017 हेतु कुल 114 पदों पर भर्ती की कार्यवाही उ0 प्र0, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के स्तर पर गतिमान है। इसके अतिरिक्त चयन वर्ष 2018 हेतु रिक्त पदों का अधियाचन उ0 प्र0, लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में नायब तहसीलदारों के कुल स्वीकृत पदों में से प्रोन्नत कोटे के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में

50-श्री सीताराम वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के विवादों को समाप्त करने हेतु सरकार उनका बन्दोबस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के विवादों का निस्तारण सिविल न्यायालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में आबादी भूमि का बन्दोबस्त करने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के स्तर के सुधार की कार्य योजना

51-श्री सीताराम वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में शोध पीठ की स्थापना की गयी है। सेंटर आफ एक्सीलेंस तथा रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट प्रोग्राम संचालित हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में ओरिएन्टेशन कोर्सेस, रिफ्रेशर कोर्सेस, कैपिसिटी बिल्डिंग हेतु वर्कशाप आयोजित किये जाते हैं। एकरूपता के दृष्टिगत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में समान शैक्षिक कैलेण्डर लागू किया गया है।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा नैक मूल्यांकन कराने तथा शोध गंगा पोर्टल पर शोध प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है। 02 राजकीय महाविद्यालय एवं 08 राजकीय मॉडल महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री घोषणा के संदर्भ में 45 राजकीय महाविद्यालय सहित सहारनपुर में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रवेश/परीक्षा/आवेदन/शुल्कों का भुगतान, शैक्षिक प्रमाण-पत्रों को आनलाइन निर्गत किये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर के सुधार की कार्य योजना

52-श्री सीताराम वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर में सुधार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार हेतु अनेक उपाय अपनाये गये हैं, जैसे पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू किया जाना, सत्र 2018-19 से सभी विषयों में इण्टरमीडिएट स्तर पर दो प्रश्न-पत्रों के स्थान पर एकल प्रश्न-पत्र की व्यवस्था लागू कर दी गयी है, साथ ही छात्रों एवं शिक्षकों की सुविधा हेतु प्रतिदर्श प्रश्न-पत्रों को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु क्वेश्चन बैंक तैयार करना, शैक्षिक पंचाग लागू किया जाना तथा समय-समय पर विद्यालयों के आवश्यक निरीक्षण की व्यवस्था करना आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर में सुधार हेतु सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण, राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के नेतृत्व क्षमता का विकास संबंधी प्रशिक्षण तथा छात्र/छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोंण के विकास के लिए जनपद स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन आदि गतिविधियां भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदनोपरान्त सम्पन्न करायी जाती है।

गुणवत्ता के स्तर में सुधार हेतु किये गये प्रयासों का विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा की तह0 जलेसर के ग्राम नगला गड़रिया में माह जून/जुलाई, 2018 में रास्ता नं0 1354 व 1355 के निर्माण के सम्बन्ध में

53-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की तहसील जलेसर के ग्राम नगला गड़रिया में माह जून/जुलाई, 2018 में रास्ता नं0-1354 व 1355 को ग्राम प्रधान द्वारा नहीं बनवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर रास्तों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-

जिला पंचायतराज अधिकारी, एटा के पत्र दिनांक 6-2-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार रास्ता संख्या 1354, जो राजबहादुर के घर से ही प्रकाश के घर तक है, राजस्व विभाग द्वारा चिन्हांकित किये जाने के पश्चात् उक्त रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य नियमानुसार वर्ष 2018-19 की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए पूर्ण करा दिया गया है। खण्ड विकास अधिकारी, जलेसर द्वारा उक्त रास्ता का स्थलीय सत्यापन भी किया गया है।

रास्ता संख्या 1355 का राजस्व विभाग द्वारा चिन्हांकित होने के पश्चात् नियमानुसार ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पास होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही कार्य कराया जाना संभव होगा।

---

†देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0 98-99 पर।

जनपद उन्नाव में खेत संख्या 208 की जांच कराकर राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के सम्बन्ध में

54-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 जयपाल सिंह व्यस्त, सदस्य विधान परिषद् का दिनांक 10 जनवरी, 2019 का फैक्स पत्र संलग्नक सहित जोकि ग्राम इन्द्रेमऊ, ब्लाक बीघापुर, जनपद उन्नाव में खेत संख्या-208 की जांच कराकर राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने विषयक था, जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उन्नाव व उप जिलाधिकारी, बीघापुर की आख्या दिनांक 07-02-2019 के अनुसार ग्राम इन्देमऊ, परगना भगवन्त नगर, तहसील बीघापुर, जिला उन्नाव के आधार वर्ष खतौनी सन् फ0 (1418-1823) के खाता संख्या-192 पर रमेश, पप्पू, रामकिशोर पुत्रगण राजाराम, निवासी ग्राम के गाटा संख्या 208/0.265 दर्ज है। उक्त खाते पर सह0 चकबन्दी अधिकारी, बीघापुर वाद संख्या-2928/7.2.2018 धारा 9क(2) में खाते की चक प्रथक भूमि को छोड़कर शेष विभाजन रमेश 1/3, पप्पू 1/3 रामकिशोर 1/3 अंश दर्ज होने के आदेश अंकित है।

आकार पत्र 2क (खसरा चकबन्दी) में गाटा संख्या 208 रकबा 0.265 हे0 खाता 192 में रमेश, पप्पू, रामकिशोर पुत्रगण राजाराम, निवासी ग्राम के नाम दर्ज है। पड़ताल कालम 24 में समतल, दो फसली पैदावार औसत दर्ज है। विनियम अनुपात 70 पैसे निर्धारित किया गया है। आधार वर्ष खतौनी संख्या-192 तथा जोत चकबन्दी आकार-पत्र।

ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया में धारा 20 का प्रकाशन 29.01.2019 को हो चुका है, तहसील से प्राप्त आधार वर्ष खतौनी के अनुक्रम में चकदार संख्या 263 पप्पू पुत्र राजाराम तथा चक संख्या 478 रामकिशोर पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम के चक उनके मूल गाटे 208 को लेकर बने हैं। चक संख्या 477 रमेश पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम के नाम है। उक्त चकदार के पास गाटा संख्या 208 के अतिरिक्त गाटा संख्या 89,103,947 भी है उसका चक उसके बड़े गाटे 947 तथा 89 को लेकर बना है, नवसृजित चक पर दिनांक 07-02-2019 तक कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है।

उत्तर अपेक्षित नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर में सरकारी तालाब/पोखरों पर अतिक्रमण विषयक

55-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का नगर पंचायत ककोड जनपद बुलन्दशहर में सरकारी तालाब, पोखरों पर अतिक्रमण विषयक पत्र संख्या ख-6 नम्बर-512608, दिनांक 08-01-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

वर्तमान में गाटा सं0-2205 तालाब है, जिसका रकबा 0.4680 हे0 है। उक्त तालाब का शासन द्वारा संचालित आदर्श नगर योजनान्तर्गत सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है, किसी भी भू-माफिया को व्यक्तिगत लाभ देने के उद्देश्य से कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। तालाब के चारों ओर सीमाओं की बाउण्ड्रीवाल का कार्य एवं जनसामान्य के घूमने के उद्देश्य से पटरी का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

नगर पंचायत, ककोड़ के ठीक सामने सरकारी बंजर भूमि गाटा सं0 2027 रकबा 0.3160 हे0 जो अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी है। इस भूमि का बाउण्ड्रीवाल का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अवर अभियन्ता के द्वारा आगणन तैयार कर दिये गये हैं। 14वां वित्त आयोग की किश्त प्राप्त होने पर बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अवस्थापना निधि की स्वीकृति में मार्ग निर्माण कार्य अभिलेखों में दर्ज मार्ग के अनुसार कराया जाना है एवं नगर पंचायत की सरकारी भूमि गाटा सं0-2027 रकब 0.3160 हे0 व नगर पंचायत के तालाब के गाटा सं0-2039 का सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसकी पहुंच तक मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है।

नगर पंचायत की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किये जाने का कार्य प्रगति पर है। निकाय द्वारा हाल ही में कुछ भूमि कब्जा मुक्त करायी गयी है। निकाय में कब्जा मुक्त करायी गयी सरकारी भूमि गाटा सं0-1851 रकबा 0.2280 हे0 में गौशाला के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद तहसील को कलस्टर की सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में

56-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद तहसील को कलस्टर की सूची में शामिल करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 नम्बर-465492, दिनांक 19-12-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ महेन्द्र सिंह-

जी हां।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजनान्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद तहसील को कलस्टर में सम्मिलित करने के संबंध में अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गैर जनजातीय कलस्टर हेतु 20 उप जनपदों एवं जनजातीय कलस्टर हेतु 03 उप जनपदों की सूची उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त उपजिलों के अन्तर्गत ही कलस्टर का गठन करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 07 पैरामीटर पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जाना था। उक्त सूची में सम्मिलित जनपद बुलन्दशहर में सिकन्द्राबाद कलस्टर का गठन किया गया एवं वरीयता निर्धारण के क्रम में गैर जनजातीय कलस्टर की सूची में 19वें स्थान पर निर्धारित हुआ है।

उत्तर प्रदेश राज्य हेतु योजनान्तर्गत 03 चरणों में कुल 18 गैर जनजातीय कलस्टर एवं 01 जनजातीय कलस्टर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके कारण जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद तहसील को वरीयता क्रमांक में 19वें स्थान पर होने के कारण कलस्टर में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत वि0खं0 पूरेडलई की ग्राम पंचायत, उदईमऊ में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में

57-श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड पूरेडलई की ग्राम पंचायत, उदईमऊ व विकास खण्ड बनीकोंडर की ग्राम पंचायत बबुरीगांव में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सीधे राजकीय (बालक/बालिका) इण्टर कालेज खोले जाने की कोई योजना संचालित नहीं है और न ही किसी धनराशि का प्रावधान है।

प्रदेश में गो संरक्षण योजना के अन्तर्गत महाराजगंज के गो सदन झरेलिया का उच्चीकरण/विस्तारीकरण के सम्बन्ध में

58-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गो-संरक्षण के लिये कौन सी योजना चल रही है व उक्त योजना का नाम क्या है ? क्या सरकार जनपद-महाराजगंज के गो-सदन झरेलिया जो लगभग 400 एकड़ भूमि में है का उच्चीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल-

प्रदेश सरकार द्वारा गौसंरक्षण एवं संवर्धन हेतु निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं :-

1-शहरी एवं नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कान्हा पशु संरक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

2-पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कांजी हाउस का संचालन किया जा रहा है।

3-पशुपालन विभाग द्वारा उ0 प्र0 के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों) में अस्थायी गोवंश की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन दिनांक 02-01-2019 को किया गया है।

4-निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में गोवंश वन्य विहार तथा प्रदेश के अन्य समस्त 68 जनपदों में एक-एक वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक केन्द्र की स्थापना हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को रु0 120.00 लाख की धनराशि आवंटित कर दी गयी है।

5-उ0 प्र0 गोशाला अधिनियम, 1964 के तहत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा संचालित 516 पंजीकृत गोशालायें हैं। यह गोशालायें गोवंशीय पशु रखने उनका अभिजनन पालन या भरण पोषण करने अथवा दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व प्रस्तुत करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गयी है। पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु प्रति गोवंश प्रतिदिन 30 रु0 की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।

जनपद महराजगंज में झरेलिया नाम से कोई गो सदन स्थापित नहीं है, बल्कि गो सदन मधवलिया स्थापित है, जिसमें वर्तमान में 1468 गोवंश संरक्षित हैं। गो सदन के उच्चीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पश्न नहीं उठता।

पश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात रसोईयों के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में

59-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 131 कटरा, जनपद शाहजहांपुर में कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उन विद्यालयों में कितने रसोइयों की तैनाती की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उन रसोइयों का वेतन/मानदेय अक्टूबर, 2018 तक भुगतान किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का बकाया वेतन/मानेदय का भुगतान कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 131-कटरा में कुल 08 विकास खण्ड (कटरा, खुदागंज, तिलहर, मदनापुर, जैतीपुर, निगोही, कलॉन, मिर्जापुर तथा जलालाबाद) आते हैं, जिसमें कुल 1166 प्राथमिक विद्यालय एवं 474 उच्च प्राथमिक विद्यालय मिड-डे-मील योजना से आच्छादित हैं। इन विद्यालयों में कुल 4134 रसोईयां कार्यरत हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0स0 क्षेत्र कटरा के वि0 खं0 खुदागंज के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक

60-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम पंचायत कुरगांव में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वहां के पंचायत सचिव को बिना सूचना के हटाये जाने व प्रधान के वित्तीय अधिकारों को सीज करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो उक्त ग्राम पंचायत में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप क्यों किया गया है ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर की संस्तुति के अनुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05-02-2019 द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित करते हुए आरोप-पत्र निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में दुबग्गा से अवध हास्पिटल जाने वाले मार्ग पर स्थापित पारा थाना भवन को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में

61-श्री नितिन अग्रवाल-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2017 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-4 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में दुबग्गा से अवध हास्पिटल जाने वाले मार्ग में एक लेन पर स्थापित पारा थाना के कारण लगातार जाम की समस्या के निराकरण हेतु सरकार उक्त थाना भवन अन्यत्र समय सीमा निर्धारित कर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

थाना पारा के नवीन परिसर का निर्माण कार्य डिप्टी खेड़ा, पारा में हो रहा है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक कार्यालय, थाना कार्यालय, बन्दीगृह भवन तथा मालखाना का निर्माण कार्य हो चुका है तथा थाना पारा नवनिर्मित भवन में व्यवस्थापित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के छपिया वि0खं0 में ग्राम पंचायत सकदरपुर व ग्राम पंचायत रानीजोत में पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी निर्माण की जांच

62-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के छपिया विकास खण्ड में ग्राम पंचायत सकदरपुर व रानीजोत में पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी टंकी का

निर्माण मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की टी0ए0सी0 से जांच करवा कर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सकदपुर व रानीजोत में विश्व बैंक पोषित ''नीर निर्मल परियोजना'' का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत नलकूप बोरिंग, पम्प हाउस, स्टाफ क्वार्टर, बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है एवं वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत टंकी का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं है। कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की जांच एन0आई0टी0, सुल्तानपुर एवं पी0वी0सी0 पाइप की जांच सी0आई0पी0ई0टी0, लखनऊ से करायी गयी है, जिससे कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुसार एवं संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के थाना खोडारे अन्तर्गत ग्राम पंचायत घारीघाट में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की मांग

63-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के थाना खोडारे अन्तर्गत ग्राम पंचायत घारीघाट में सरकार अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद गोण्डा के थाना खोडारे में ग्राम पंचायत घारीघाट, मनकापुर तहसील में स्थित है। मनकापुर तहसील में पूर्व से एक फायर स्टेशन स्वीकृत है। अतः उक्त तहसील में एक अतिरिक्त फायर स्टेशन की स्वीकृति का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

64-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र के सोलह ब्लाकों में कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-

जी हां।

जनपद गोण्डा के समस्त 16 विकास खण्डों में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाईन सर्वे के अनुसार 379976 शौचालय का निर्माण कराते हुए कुल 343123 शौचालयों

का फोटो अपलोड कराया जा चुका है। वर्तमान समय में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशानुसार बेसलाईन सर्वे, 2012 से छूटे/वंचित परिवारों का सर्वे कराया गया। सर्वे में कुल 126786 पात्र परिवार शौचालय सुविधा से वंचित पाये गये, जिसमें से कुल 11264 शौचालयों के निर्माण की धनराशि उपलब्ध थी जिसके सापेक्ष 4878 लाभार्थियों का शौचालय निर्माण कराकर फोटो अपलोड कराया जा चुका है, शेष पर कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज परिसर में 200 बेड के अस्पताल के अधूरे निर्मित भवन के सम्बन्ध में

65-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज परिसर में पूर्व निर्धारित 200 बेड अस्पताल के अधूरे निर्मित भवन में अन्य आवश्यक प्रावधान करते हुये एक कैंसर अस्पताल यूनिट स्थापना के सम्बन्ध में उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र संख्या-750/71-3-18-30/2018 दिनांक 31-12-2018, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अन्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं एम0सी0आई0 मानक के अनुसार मेडिकल कालेज से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय में ही 500 बेडेड अस्पताल निर्माणाधीन है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रायोजना से सम्बन्धित डी0पी0आर0 पर भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रायोजना के अन्तर्गत पृथक् प्राविधान किये जाने में कठिनाई है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के पुलिस विभाग में डायल 100 के अन्तर्गत चार पहिया वाहनों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में

66-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद से 2 हाई-वे गुजरते हैं, में पुलिस विभाग के डायल 100 के अन्तर्गत अन्य समीपस्थ जनपदों यथा मैनपुरी के 13 थाने हेतु 27 चार पहिया वाहन, मथुरा के 21 थाने हेतु 63 चार पहिया वाहन आगरा के 42 थाने हेतु 76 चार पहिया वाहन की तुलना में फिरोजाबाद के 21 थाने हेतु मात्र 32 चार पहिया वाहन हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद पुलिस विभाग में डायल 100 के अन्तर्गत चार पहिया वाहनों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

यू0पी0-100 परियोजना के प्रारम्भ में जनपदों की जनसंख्या, थानों की संख्या, मार्गों की लम्बाई, जनपदों में घटित अपराध आदि के आधार पर वाहन आवंटित किये गये थे। विगत 02 वर्षों में 100 नम्बर पर जनपदवार प्राप्त सूचनाओं की संख्या, थानों की संख्या, मार्गों की संवेदनशीलता तथा अन्य विशिष्टताओं के आधार पर पीआरवी वाहनों के पुनर्व्यवस्थापना की प्रक्रिया प्रचलित है। तदनुसार जनपद फिरोजाबाद में पीआरवी वाहनों की संख्या बढ़ाने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के पुलिस विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

67-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के पुलिस विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रस्तावों, फिरोजाबाद में थाना दक्षिण में पुलिस क्लब का जीर्णोद्धार पुलिस लाइन में 5 राजपत्रित अधिकारियों के आवास निर्माण, पुलिस उपाधीक्षक/क्षेत्राधिकारियों हेतु कार्यालय निर्माण, थाना उत्तर एवं थाना दक्षिण के प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, भवन/कल्याण निगम, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्रांक ग्यारह-548-2014, दिनांक 02-04-2018 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

अपर पुलिस अधीक्षक, भवन/कल्याण निगम, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0 प्र0 द्वारा संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्रांक ग्यारह-548-2014, दिनांक 02-04-2018 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु उक्त संख्या का पत्र दिनांक 12-04-2018 शासन में प्राप्त हुआ है।

उक्त के सम्बन्ध में शासन के अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या 995/6-पु0-1-7-18-25/ 2018, दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा वस्तुस्थिति/अद्यतन स्थिति से मा0 विधायक जी को संसूचित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0खं0 खुदागंज के वि0स0 क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत ग्राम नौगवां में द्वाबा नदी से हुए कटान के सम्बन्ध में

68-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम नौगवां में वर्ष 2017-18 में द्वाबा नदी से कितने घर कटान से कटे हैं ? क्या सरकार उक्त गांव के अस्तित्व को बचाने के लिये तथा कटे हुये घरों के परिवारीजन को पुनर्वास हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से प्राप्त आख्यानुसार जनपद शाहजहांपुर के वि0 खं0 खुदागंज के ग्राम नौगवां में वर्ष 2017-18 में द्वाबा नदी के कटान के संबंध में अभिलेखागार में रक्षित आपत्ति वृतान्त बही का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में द्वाबा नदी से कोई मकान/घर कटने की आख्या दर्ज नहीं है।

तहसील स्तर के अन्तर्गत नदी से कटे हुए ग्रामों/घरों के लाभार्थी को दैवीय आपदा मद से राहत सहायता प्रदान की जाती है। राजस्व विभाग के शासनादेश सं0-2010/एक-10-12-33(37)/2012 टी0सी0-1, दिनांक 31.07.2012 द्वारा तीव्र बाढ़ के कारण नदियों के प्रवाह बदलने से ग्रामों में स्थित/नदियों के तट पर रिहायशी भूमि के अधिकांश भू-भाग नष्ट हो जाने के फलस्वरूप ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु उपयुक्त, निकटतम उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र में ही भूमि का क्रय कर निःशुल्क भूमि आंवटित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में ठाकुरद्वारा (हनुमान मन्दिर) सी0पी0एच0 कालोनी रेलवे पावर हाउस चौराहा, आलमबाग में स्थित आराजी नं0-370 हनुमान मन्दिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण विषयक

69-श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-221/ए0डी0एस0/2018, दिनांक 30-11-2018 जो कि जनपद लखनऊ में ठाकुरद्वारा (हनुमान मन्दिर) सी0पी0एच0 कालोनी, रेलवे पावर हाउस चौराहा, आलमबाग में स्थित आराजी नं0-370 हनुमान मन्दिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना एकत्र की जा रही है।

(संसदीय कार्यमंत्री जी ने उत्तर पढ़ना शुरू किया, उत्तर पढ़ने के मध्य।)

छात्रसंघ उद्घाटन में प्रयागराज जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने का प्रकरण

श्री नरेंद्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, ये तात्कालिक घटना है और बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

पहले उत्तर आ जाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, ये तो प्रश्नोत्तर काल है।

श्री नरेंद्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और इसलिए रोक लिया गया है क्योंकि वे इलाहाबाद छात्रसंघ का उद्घाटन करने जा रहे थे। उनका प्रोग्राम दो बार इलाहाबाद भेजा गया, प्रशासन ने उन्हें न आने की कोई सलाह या कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्नोत्तर काल हो जाने दीजिए।

श्री नरेंद्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। कार्यक्रम स्वीकृत होने के बाद भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोका जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

कोई गला नहीं घोंटा जा रहा है। आप लोग प्रश्नोत्तर काल नहीं होने दे रहे हैं, ये लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइए, यहां लोकतंत्र चलने दीजिए। मा0 शैलेन्द्र जी, इससे लोकतंत्र बच रहा है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य नारे लगाते हुए वेल में आ गए।)

'लोकतंत्र विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी', [x x x]

अगर आप लोग लोकतंत्र की सेवा कर चुके हों तो अपनी-अपनी सीट पर जाइए। मा0 सदस्यगण अपने स्थान पर चलिए। आप लोग लोकतंत्र सेनानी आज हो गए।

(वेल में उपस्थित सदस्य लगातार नारे लगाते रहे।)

आप लोगों का यह कार्यक्रम कितनी देर के लिए है, कितने मिनट तक चलेगा, बताइए उतनी देर के लिए स्थगित कर दिया जाए? लोकतंत्र की सेवा और रक्षा आप कितनी देर के लिए करना चाहते हैं ? उत्तर प्रदेश की जनता आपको देख रही है कि लोकतंत्र की सेवा कैसे होती है ? हम सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित करते हैं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 27 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 47 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक बढ़ा दिया है।)

(12 बजकर 20 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है।)

नोट-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों के वेल में उपस्थित रहने पर।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह कोई बात कहना चाहे तो अपनी सीट पर आकर कह सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, आप तो तब तक कृपा करिए जब तक सदन व्यवस्थित न हो जाये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हमें ऐतराज नहीं है तो हम तो अपनी बात रख सकते हैं, आप हमारी बात सुन लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो प्रदेश के लिए ।

श्री अध्यक्ष-

अव्यवस्थित सदन में भाषण कैसे हो सकता है ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, भाषण नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

भाषण यानि विचार या मार्गदर्शन, अव्यवस्थित सदन है। हमारा आपसे अनुरोध है कि अपने-अपने आसन पर जायें और वहां से अपनी बात रखें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

आप फिर बोलने लगे, यह लोकतंत्र है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो लोकतंत्र है, बिल्कुल है।

श्री अध्यक्ष-

तब फिर हमारी और व्यवस्था की नियमावली की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो समझ पाया हम-आप सब मित्र हैं।

(व्यवधान जारी)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है लेकिन इस तरह की हिटलरशाही उत्तर प्रदेश में हो रही है और हिटलरशाही का आचरण सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले हमारी बात सुनिए। आप कृपया बैठ जाइए। माननीय वर्मा जी, माननीय अजय जी, आप सब बैठ जाएं। हमारा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस आदरणीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं सब ।

(वेल में उपस्थित सदस्य सरकारी विरोधी नारे लगाने लगे [x x x])

श्री अध्यक्ष-

आप प्रयास कर रहे हैं कि हम गुस्साएं।

(श्री लालजी वर्मा और श्री उमाशंकर सिंह के अपने-अपने स्थान से खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

यहां आपकी कोई बात नहीं है। बात हमारी, आपकी और सभी की सामूहिक रूप से है कि आप लोग पहले अपने आसन पर जाएं। सदन में जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को दूर किया जाए फिर अपनी बात कहें। आप भी अपनी बात कहिए, सब लोग अपनी बात कहें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोकतंत्र का हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष-

यह लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, सदन के भीतर धरना देना हिस्सा नहीं है, आपकी कोई बात लिखी नहीं जाएगी।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' के अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

कोई लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या हमारा अनुरोध लोकतंत्र नहीं है ? हम जो बोल रहे हैं वह लोकतंत्र नहीं है ?

(बहुजन समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के कुछ सदस्य वेल में आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे [x x x]

अब आप बुला-बुला कर बैठाइये। यह न तो लोकतंत्र है, अब आपका लल्लू जी कैसे अधिकार हो गया बात करने का, जब आप अपने सदस्यों को यहां बुला रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, किसी भी नेता को ।

श्री अध्यक्ष-

कोई वर्जन लिखा नहीं जायेगा। आपका कोई वर्जन, कोई भी शब्द कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य।)

नोट-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश के सत्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2018 में (दिनांक 18-12-2018 से दिनांक 21-12-2018 तक) नियम 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2018 (दिनांक 18-12-2018 से 21-12-2018 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, 2014-2015†

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में कुछ नहीं है। मद संख्या-5 एवं 6 स्थगित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का पंचम् प्रतिवेदन (स्थगित)

सभापति, लोक लेखा समिति-

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का पंचम् प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित वन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का षष्टम् प्रतिवेदन (स्थगित)

सभापति, लोक लेखा समिति-

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित वन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है।

---

†छापा नहीं गया।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 03 याचिकायें (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा के सदन में अनुपस्थित रहने के कारण निम्नलिखित याचिकायें व्यपगत घोषित करता हूं :-

(1) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत बहवा (पमौली) निषाद बस्ती से पानी संस्थान तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शोभानाथ निषाद व अन्य निवासीगण, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(2) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र 277-कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत यरकी बटटूगढ़ मार्ग से मजगवां पुरवा के श्री शैलेन्द्र कुमार के घर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0 पी0 गौतम व अन्य निवासीगण, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(3) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत पटेल नगर दरबन मार्ग से ग्राम सुमसुद्दीनपुर तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सभाजीत व अन्य निवासीगण, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

श्री रितेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 08 याचिकायें (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री रितेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के सदन में अनुपस्थित रहने के कारण निम्नलिखित याचिकायें व्यपगत घोषित करता हूं :-

(1) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ग्राम पंचायत मुंगराडिला के अन्तर्गत तमसा नदी जलालपुर बसखारी मुख्य मार्ग के पश्चिम तरफ शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत केशरी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(2) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत पेठिया कोटवा के अन्तर्गत तमसा नदी पर शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(3) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत धवरुआ दलित बस्ती से ग्राम सुल्तानपुर दलित बस्ती डौणीपुर घाट सम्पर्क मार्ग तक लगभग 2 कि0मी0 पिच मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(4) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत सलाहपुर (अकबालपुर) के अन्तर्गत मझुई नदी पर शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

†छापा नहीं गया।

(5) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत दाऊदपुर नसीरपुर के अन्तर्गत सुल्तानगढ़ पुल के पश्चिम तमसा नदी पर शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बच्चा राम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(6) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव के ग्राम पंचायत खालिसपुर गोदाम के अन्तर्गत चौदह प्रास को जोड़ने के लिए तमसा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सानू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(7) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत चिलवनियां के अन्तर्गत तमसा नदी पर शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन नाथ व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका† तथा

(8) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव के ग्राम पंचायत भुजगी के अन्तर्गत तमसा नदी पर शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचेत भारती व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

डा0 लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका

डा0 लीना तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के 370 विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत कुछ सड़कों की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।†

श्री धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव जी नहीं हैं, इसको व्यपगत करता हूं।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड देवा में देवा-कुर्सी मार्ग से गुवारी टीपहार सम्पर्क मार्ग की करायी गयी विशेष मरम्मत की जांच विजलेंस से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य, विधान सभा की आगरा से सम्बन्धित 02 याचिकायें

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से,

(1) जनपद आगरा के महानगर सिकन्दरा के पुष्पांजली बिहार एक्सटेंशन व रोहनी एक्सटेंशन तक की सड़क व नाली बनाने के सम्बन्ध में श्री उमेश अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका† तथा

(2) जनपद आगरा के महानगर में बन्दरों के आतंक से बचाव कराने के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।†

†छापी नहीं गई।

श्री राजीव कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित 02 याचिकायें (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री राजीव कुमार सिंह नहीं हैं, इसको व्यपगत करता हूं।

(1) जनपद बदायूं के विकास खण्ड समरेर के ग्राम समरेर में बन रहे राजकीय आई0टी0आई0 कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुनील व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका† तथा

(2) जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज की ग्राम बेलाडांडी पुल से ग्राम नबादा मोड़ जनपद शाहजहांपुर तक विशेष मरम्मत के साथ सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री रविन्दर पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

इसको व्यपगत करता हूं।

(1) जनपद अमरोहा के शहर अमरोहा में काकर सराय अड्डे से रेलवे क्रासिंग की तरफ लगभग 300 मीटर सी0सी0 सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जाकिर अली व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकायें

श्री बृजेश कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद उन्नाव के मोहान विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा कोठली एवं मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र जनपद लखनऊ को वेता नाला पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरीश चन्द्र रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका† तथा

(2) जनपद उन्नाव के मोहान विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक औरांस, ग्राम सभा मिर्जापुर अजगांव के सामने सई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हजारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।†

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री संजय प्रताप जायसवाल नहीं हैं, इसको व्यपगत करता हूं।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत भानपुर स्टेट बैंक के सामने इण्टर कालेज, भानपुर होते हुए बंटीकरा तक जाने वाले मार्ग पर बड़ा नाले के समीप आधा किमी0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिद्वारा गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

†छापा नहीं गया।

श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका

श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से, जनपद बस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड गौर के सम्पर्क मार्गों के निर्माण के अभाव हेतु प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।†

डा0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 14 याचिकायें

डा0 अनीता लोधी राजपूत-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम करीरी नेशनल हाइवे 93 से मुख्य मार्ग करीरी हाईवे तक (01 किमी0 दूरी) रास्ते को पक्का करवाने के सम्बन्ध में श्री नन्नू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(2) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऊंचागांव बांगर से खेड़ा के पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(3) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के ग्राम पंचायत रसूलपुर/नारायनपुर के खसरा नं0 661 पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मानिक चन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(4) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम शहदवां गाटा संख्या 1019 रकबा 850 हैक्टे0 भूमि पर कन्या महाविद्यालय स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में श्री लाखन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(5) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के ग्राम राम बिलौनी किला में बारात घर बनवाने के सम्बन्ध में श्री योगेश कुमार शर्मा प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(6) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के ग्राम दौगवां मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(7) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम रहीमकोट, शहदवां, शेरपुर, ऐदलपुर, जरैना एवं बुढ़ानपुर में प्रा0 पाठशाला में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत आंगनबाड़ियों एवं रसोइयों का वेतन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लता देवी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(8) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत ग्राम खरिकवारी में चाँदपुर खेड़ा से खरिकवारी तक काली रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र कुमार राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

†छापा नहीं गया।

(9) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत ग्राम नंगला तुलसी में एक बारात घर बनवाने के सम्बन्ध में श्री राकेश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(10) जनपद बुलन्दशहर की ब्लाक अनूपशहर के ग्राम पंचायत फेजपुरा, माजरा मऊ ग्राम सूरजपुर मखैना से गांव फेजपुरा वाया मऊ होते हुए रास्ता कर्णवास रोड पर भृगु क्षेत्र आश्रम के सामने तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह लोधी एड0 व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(11) जनपद बुलन्दशहर की ग्राम पंचायत खैरपुर, मोहम्मदपुर कलां, तहसील डिबाई में ग्राम कुमरौआ चौराहा से खैरपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्द किशोर व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(12) जनपद बुलन्दशहर की वि0ख0 डिबाई के अन्तर्गत मौ0 चौधर खेल बाल्मीकि बस्ती डिबाई में एक बारात घर/सामुदायिक केन्द्र स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में श्री अमित बाल्मीकि व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(13) जनपद बुलन्दशहर की वि0ख0 डिबाई के अन्तर्गत ग्राम चौढेरा में करीब 2 किमी0 काली सड़क के कच्चे मिट्टी खड़न्जे पर राजघाट रोड से ग्राम चौढेरा तक बनवाने के सम्बन्ध में श्रीमती मिथलेश कुमारी प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका† तथा

(14) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत मोहल्ला महादेव चौराहा डिबाई से ग्राम बांधौर तक एवं उमरार तिराहे से बांधौर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डोरी सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करती हूं।†

डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 04 याचिकायें

डा0 नीरज बोरा-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज प्रियदर्शनी कालोनी सेक्टर-बी, सी एवं डी के समुचित विकास एवं हस्तान्तरण के सम्बन्ध में श्री नीरज मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(2) जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज में 100 शैय्या का चिकित्सालय का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

(3) जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज में अल्प विकसित क्षेत्र में काफी समय से जर्जर पड़ी सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।† तथा

†छापा नहीं गया।

(4) जनपद लखनऊ के मल्लाही टोला राधाग्राम बैरल संख्या-2 पर पड़े बैरल पाइपों के चोक होने के सम्बन्ध में श्री अनूप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।†

(घोर व्यवधान के मध्य।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-**19, 20 व 21** इसमें कुछ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वह अपनी जगह पर जायें। आपकी रूचि सदन संचालन में नहीं है। इस पर सरकार का मंतव्य क्या है।

छात्रसंघ उद्घाटन में प्रयागराज जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने का प्रकरण (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो प्रकरण समाजवादी पार्टी के श्री नरेन्द्र वर्मा ने उठाया था, उसके संबंध में हमारे पास रिपोर्ट है। हमने रिपोर्ट मंगा ली है। प्रयाग विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जाना था और वहॉ छात्रों के बीच मनमुटाव को देखकर वहॉ छात्रसंघ के कार्यक्रम में राजनीतिक लोगों को हिस्सा न लेने का उन्होंने पत्र पहले से ही जारी किया था, इसे हम आपके पास भिजवाये देते हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने यह सूचित किया था कि इनका आना वहॉ की शान्ति व्यवस्था के लिये उचित नहीं होगा। शान्ति और व्यवस्था को भंग होने की आशंका को देखते हुये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कहलवाया गया और यह सूचना दी गयी कि उनका वहॉ पर जाना उचित नहीं है। उनको कल ही इस बात की सूचना दे दी गयी थी, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज किया। शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखना उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है और हर कीमत पर उत्तर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बरकरार रखने के लिये जो भी कोई कदम उठाने की आवश्यकता होगी, उसको उठाया जायेगा। इनका जाना प्रयागराज की कानून व्यवस्था के लिये ठीक नहीं था और वहॉ कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका थी। इसलिये मान्यवर, यह कदम उठाया गया लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई वैसा व्यवहार नहीं किया गया। उनको यह बताया गया कि कानून का पालन करना उनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि वह भी कानून का पालन करें। जब उनको यह कहा गया तो उनको उसको मानना चाहिये। उसको डिसओबे करने का कोई कारण नहीं बनता था और कानून व्यवस्था को मेन्टेन करने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया। मैं समझता हूं कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है और यह लोग केवल हल्ला मचाना जानते हैं, यह सदन को चलाना नहीं चाहते।

(व्यवधान लगातार जारी रहने के मध्य।)

---

†छापी नहीं गयी।

कार्य-स्थगन की सूचनाओं का निरस्तीकरण

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन की सूचनाओं पर अगर माननीय सदस्य बोलना चाहते हों तो अपनी सीटों पर जा सकते हैं। आप नहीं जा रहे हैं तो यह माना जा रहा है कि आप अपने कार्य-स्थगन पर बल नहीं दे रहे हैं। मैं सारे कार्य-स्थगन की सूचनाओं को निरस्त करता हूं।

आय-व्ययक पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

आज आय-व्ययक पर चर्चा होनी थी। क्या समाजवादी पार्टी के सदस्य आय-व्ययक पर बोलना चाहेंगे। नहीं बोलना चाहेंगे।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12-02-2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 62 सूचनायें प्राप्त हुयीं। जो माननीय सदस्य वेल आफ दि हाउस में हैं उनकी सूचनायें हम अग्राह्य करते हैं और जो माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर हैं उनकी सूचनायें स्वीकार की जायेंगी।

पहली सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह, प्रदेश की तहसीलों में आनलाइन खतौनी दर्ज किये जाने में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री दलवीर सिंह, जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी के अन्तर्गत सामाजिक कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना, श्री रोशन लाल वर्मा, जनपद शाहजहांपुर की कतिपय तहसीलों में राजस्व विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री राकेश सिंह, जनपद रायबरेली के ग्राम बल्ला, हरचन्दपुर नवोदय मार्ग 400 के0वी0 विद्युत गृह स्थापित किये जाने जाने के सम्बन्ध में है, तथा पांचवीं सूचना श्री श्याम धनी, जनपद श्रावस्ती के तहसील भिनगा के ग्राम दयाली में राप्ती नदी के किनारे खनन हेतु की गयी ई-टेण्डरिंग में हुई अनियमितताओं की जांच कराये जाने जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना 'प्रिन्स' वीर विक्रम सिंह, जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा में स्थित सहकारी चीनी मिल, तिलहर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी फण्ड का भुगतान कराये जाने जाने के सम्बन्ध में है तथा दूसीर सूचना डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में जलभराव एवं चहारदीवारी के पुनर्निर्माण जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा डिबाई में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के भवन का निर्माण कराये जाने जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सत्यवीर त्यागी, जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में नलकूप 86 से नलकूप 13 बधौली वाली रोड का निर्माण कराये जाने जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डा0 जी0 एस0 धर्मेश, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र कैंट में गांव धाधूपुरा से नगमा पैमा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राम नरेश रावत,

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में झील का विकास एवं जेनई ग्राम को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री दल बहादुर, जनपद अमरोहा के तहसील धनौरा के ग्राम व पोस्ट तिगरी के गाटा सं0 433 बसीकत की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर, जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा के ग्राम सभा बेलवरिया में भोजूबीर-सिंधोरा मुख्य मार्ग पर बेलवरिया गेट से बाहा तक नाला एवं सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री बम्बा लाल, जनपद उन्नाव के ब्लाक मियागंज में नवगंवा से रसूलाबाद रजबहा के किनारे से 06 कि0मी0 लम्बी सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर, जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में विद्युत विभाग के कतिपय अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, जनपद बुलन्दशहर स्थित मोतीबाग में सेठ गोपीमल नेत्र चिकित्सालय को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल, जनपद लखनऊ के इंदिरानगर विकास भवन की मरम्मत हेतु अवमुक्त धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल, जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत ग्राम सैदपुर, विकास खण्ड फरीदपुर में पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना डा0 हरगोविन्द भार्गव, जनपद लखनऊ के मोहान रोड स्थित ग्राम शिवरी निवासी श्रीमती मीना की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र स्थित पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय में फर्नीचर, शौचालय, बहुउद्देश्यीय हाल तथा अन्य कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश, विंध्याचल मण्डल मीरजापुर में तैनात अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्यों में की जा रही अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा पन्द्रहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र, जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

क्रम	नाम
1	श्री अजय सिंह।
2	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा।
3	श्री त्रिवेणी राम।
4	श्री अजय कुमार लल्लू।
5	श्रीमती राजबाला।
6	श्री संजय शर्मा।
7	श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया।
8	श्री सहेन्द्र सिंह चौहान।
9	श्री चन्द्रपाल कुशवाहा।

क्रम	नाम
10	श्री नरेश सैनी।
11	श्री मसूद अखतर।
12	श्री मनोज कुमार पारस।
13	श्री धनन्जय कन्नौजिया।
14	श्री राम प्रताप सिंह।
15	श्री रितेश पाण्डेय।
16	श्रीमती अनीता।
17	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'।
18	श्री आजाद अरिमर्दन।
19	श्री अबरार अहमद।
20	श्री आशुतोष उपाध्याय।
21	श्री बृजेश कठेरिया।
22	श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव।
23	श्री नाहिद हसन।
24	श्री प्रभुनारायण सिंह यादव।
25	श्री अमिताभ बाजपेयी।
26	श्री नफीस अहमद।
27	श्री उज्जवल रमण सिंह।
28	श्री राम अचल राजभर।
29	श्रीमती बन्दना सिंह।
30	श्री पारसनाथ यादव।
31	श्री अगयश राम सरन वर्मा।
32	श्री कैलाश नाथ शुक्ल।
33	श्री सुभाष पासी।
34	श्री पल्टू राम।
35	कुं0 नरेन्द्रपाल सिंह।
36	हाजी इरफान सोलंकी।
37	मो0 फईम इरफान।
38	श्री जवाहर लाल राजपूत।
39	डॉ0 डी0 सी0 वर्मा।
40	श्री असलम अली।

जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील टाण्डा में घनी आबादी के बीच से एन0टी0पी0सी0, टाण्डा से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ले जाये जाने से उत्पन्न समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

टाण्डा तापीय परियोजना पर निर्माणाधीन 2 × 660 मेगावाट इकाईयों से उत्पादित होने वाली विद्युत निकासी के लिये 400 के0 वी0 टाण्डा...

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[भौखरी (बस्ती) का निर्माण कार्य सर्वे अनुसार उपयुक्त पाये गये रूट पर भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 एवं भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार कराया जा रहा है। राजमार्ग के चौड़ीकरण किये जाने की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आवेदन पर जमा धनराशि मद में आवश्यक टावर का विस्थापन कराया जायेगा। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से राजमार्ग संख्या 30ए के चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

220 के0वी0, टाण्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एन0टी0पी0सी0), न्यू टाण्डा डी0सी0 लाइन के निर्माण हेतु एन0टी0पी0सी0 के स्विचयार्ड में 'बे' की स्थिति पूर्व निर्धारित है। अतः लाइन की निकासी का अन्य कोई विकल्प नहीं है। लाइन ग्राम बहादुरपुर, मखदुमपुर, अम्बेडकरनगर में कुछ मकानों के ऊपर से जा रही है। जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीणों एवं यू0पी0पी0टी0सी0एल0 के मध्य वार्ता में सहमति अनुसार प्रभावित चार व्यक्तियों को मकान की क्षतिपूर्ति के मुआवजे के रूप में प्रत्येक को रु0 2.50 लाख मात्र के चेक हस्तगत करा दिये गये हैं। दिनांक 29-01-2019 को लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।]

(घोर व्यवधान के मध्य।)

पूरे प्रदेश में एस0सी0/एस0टी0 के सभी अपराध पीड़ितों के आश्रितों को अनुमन्य सहायता राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुषमा पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति..

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्यमंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[(अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 संशोधन नियम, 2014, संशोधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की हत्या/सामूहिक हत्या/डकैती/स्थायी अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों/आश्रितों को अत्याचार की तारीख से 03 माह के भीतर पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार सुविधा प्रदान किये जाने का भारत सरकार द्वारा आदेश दिया गया है, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए शासनादेश संख्या 118/2016/1405/26-3-2016-4(256)/1994, दिनांक 14-06-2016 निर्गत कर दिया गया है, जिसमें निम्न 03 बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है :-

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रुपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों के लागू हैं और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरन्त क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध।

(ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा।

(iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबन्ध।

उपरोक्त के क्रम में हत्या/मृत्यु, सामूहिक हत्या/बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को पूर्वोक्त तीनों मदों में अनुतोष का नियमानुसार प्रबन्ध किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या 2942/26-3-2018, दिनांक 30-11-2018 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों/जिलधिकारियों/जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं निदेशक, समाज कल्याण को दिये गये। तत्क्रम में कतिपय जनपदों के जिलाधिकारियों/जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त मदों में धनराशि के प्रबन्धन व प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में व्यवहारिक कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए शासन से मार्ग दर्शन मांगा गया, जिसके निराकरण हेतु समाज कल्याण आयुक्त, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07-02-2019 को सम्बन्धित विभागों यथा खाद्य एवं रसद विभाग, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर पीड़ितों को पेंशन, आवास, शिक्षा तथा अनाज आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में यथा प्रक्रिया सक्षम स्तर से निर्णय लेकर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर विकास प्राधिकरण में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भू-खण्ड संख्या-42 व 43 की फर्जी रजिस्ट्री की एफ0आई0आर0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मान्यवर, श्री अशोक सिंह चंदेल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण...

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्यमंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूखण्डों की रजिस्ट्री किये जाने सम्बन्धी मा0 मुख्य मंत्री जी से शिकायत की गयी थी, जिसमें निम्न भूखण्ड निहित हैं :-

क्र0 सं0	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी0	आवंटी का नाम	योजना	दर प्रतिवर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	621/5	377.44	श्री करूणा सागर पुत्र भागवत	ब्लाक डब्लू-2 जूही	रु0 104 प्रतिवर्ग मी0
2	621/9-ए	377.44	श्रीमती सरला झा पत्नी सत्यप्रकाश	ब्लाक डब्लू-2 जूही	रु0 104 प्रतिवर्ग मी0
3	219-ए	297.68	श्री जितेन्द्र सचान पुत्र तुलसीराम	ब्लाक-एच, किदवई नगर	रु0 150 प्रतिवर्ग मी0
4	265-ए	297.68	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार	डब्लू-2 जूही	रु0 140 प्रतिवर्ग मी0
5	241-ए	297.68	श्री रमेश नारायण पुत्र श्री शिव नारायण	डब्लू-2 जूही	रु0 104 प्रतिवर्ग मी0
6	43	600.00	सीमा शिक्षण संस्थान	वाई-1, किदवई नगर	रु0 150 प्रतिवर्ग मी0
7	42	600.00	श्री राकेश सचान	वाई-1, किदवई नगर	रु0 150 प्रतिवर्ग मी0

2-कानपुर विकास प्राधिकरण में फर्जी दस्तावेजों के द्वारा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर से प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर साक्ष्य सहित एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 06-04-2018 द्वारा निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में आयुक्त, कानपुर मण्डल के पत्र दिनांक 29.06.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या को परीक्षणोपरान्त सन्तोषजनक नहीं पाया गया और शासन के पत्र दिनांक 12-07-2018 द्वारा सभी मामलों की गहराई से पुनः

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आरोप-पत्र गठित कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। आयुक्त, कानपुर मण्डल द्वारा जांच आख्या पुनः पत्र दिनांक 13-09-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। इस सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री अश्वनी अवस्थी, लेखाकार के विरुद्ध आवास अनुभाग-7 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है, जबकि श्री श्रीश कुमार जायसवाल, तत्का0 संयुक्त सचिव (सेवानिवृत्त), श्री कमलेश कुमार साहू, तत्का0 प्रधान लिपिक (सेवानिवृत्त) एवं श्री जगतपाल सिंह, प्रथम श्रेणी लिपिक (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही इनके अधिष्ठान द्वारा की जा रही है। उक्त प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त पाये गये अकेन्द्रीयित सेवा के श्री कंचन कुमार गुप्ता, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, प्रथम श्रेणी लिपिक तथा प्रेम सिंह राठौर, द्वितीय श्रेणी लिपिक के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण (सक्षम प्राधिकारी) स्तर से जारी किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के पत्र दिनांक 12-09-2018 द्वारा पालिका सेवा के श्री लाल चन्द्र मौर्य, तत्कालीन संयुक्त सचिव व श्री एम0 के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन उप सचिव के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर साक्ष्यों सहित विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु नगर विकास विभाग से अनुरोध किया गया है।

3-प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त, कानपुर मण्डल की जांच आख्या दिनांक 13-09-2018 के क्रम में संदिग्ध आवंटन/रजिस्ट्रेशन/फ्री होल्ड को नियमानुसार निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 15-10-2018 द्वारा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त 07 भूखण्डों के सम्बन्ध में कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है :-

(1) उपर्युक्त प्रस्तर-1 की तालिका के क्र0-2 पर अवस्थित भूखण्ड सं0-621/9-ए, ब्लाक डब्लू-2, जूही के आवंटी श्रीमती सरला झा के पक्ष में आवंटन निरस्त करते हुए श्री अशोक कुमार चंदेल, मा0 सदस्य, विधान सभा को विधायक कोटे के अन्तर्गत आवंटन किया गया है।

(2) उपयुक्त प्रस्तर-1 की तालिका के क्र0 सं0-1, 3, 4 व 5 पर अवस्थित भूखण्ड सं0 621/5, ब्लाक डब्लू-2, जूही कानपुर नगर, भूखण्ड संख्या-219-ए, ब्लाक एच, किदवई नगर, कानपुर नगर, 265-ए, ब्लाक डब्लू-2, जूही, कानपुर नगर व 241-ए, ब्लाक डब्लू-2 जूही, कानपुर नगर के रजिस्ट्रेशन/फ्री होल्ड के निरस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कानपुर नगर में दिनांक 23-10-2018 को वाद प्रस्तुत किया गया है।

(3) उपयुक्त प्रस्तर-1 की तालिका के क्र0 सं0-1, 2, 3, 4 व 5 पर उक्त 05 भूखण्डों के भू-स्वामियों पर क्रमशः मु0अ0सं0-200/18, 0032/18, 0031/18 तथा 0030/18 धारा-420, 468, 471 के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकारण द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है जिसकी विवेचना की जा रही है।

(4) उपयुक्त प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-6 व 7 पर क्रमशः अवस्थित भू-खण्ड सं0-43 व 42 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30-07-2015 द्वारा उक्त भूखण्डों के आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 08-08-2007 को अपास्त करते हुए याची के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने के

आदेश दिये गये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30 जुलाई, 2015 का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"..... In view of the above facts and discussions, the impugned order of the respndent no. 1 dated 08.08.2007 cancelling the allotment of plots no. 42 & 43 situate at Y-1 Virat Nagar, Kidwai Nagar, Kanpur in favour of the petitioners no. 1 & 2 cannot be sustained and is hereby quashed.

Writ petition stands allowed.

Respondents are restrained from interfering in the peaceful possession of the petitioners over the aforesaid plots in any manner, except in accordance with law."

(5) उ0 प्र0 विधान परिषद् की विकास प्राधिकरणों, आवास-विकास परिषद्, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियिमितताओं पर अंकुश लगाने/जांच किये जाने के सम्बन्ध में समिति की दिनांक 14-09-2017 को निम्न आदेश प्रदान किये गये :-

''इस प्रकरण में समिति बनाने या जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस प्रकरण को समिति से समाप्त किया जाता है।''

(6) उ0 प्र0 विधान सभा की मा0 याचिका समिति की दिनांक 28-12-2018 में प्रश्नगत प्रकरण निर्धारित था जिसमें मा0 याचिका समिति द्वारा निम्न आदेश दिये गये :-

''ठीक है, इस याचिका को निस्तारित करते हैं।''

4-उपर्युक्त प्रकरण में भूखण्ड सं0-42 व 43, वाई-1, किदवई नगर, कानपुर के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30-07-2015 के आलोक में मत स्थिर कर संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलबध कराये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 11-02-2019 द्वारा उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

उपरोक्त सूचना के उल्लिखित मार्गों के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार हैं, नरायनपुर बन्ना से जैकी का पुरवा(भीरनपुर) तक 1 कि0मी0....

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मार्ग प्रश्नगत मार्ग लेपित मार्ग से जुड़ा है। मजरा जैकी का पुरवा की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी 180 है। वर्तमान में 250 से कम आबादी वाले मजरे को जोड़ने की योजना विभाग में संचालित नहीं है।

2-**ग्रा0स0, हरदी में फुटहा पुल से पूरे पंचम सिंह तक 350 मी0 मार्ग-**प्रश्नगत ग्राम सभा की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 232 है। वर्तमान में 250 से कम आबादी वाले मजरे को जोड़ने की योजना विभाग में संचालित नहीं है।

3-**ग्रा0स0, सुदामापुर पक्की सड़क से मलखान सिंह कोटेदार के दरवाजे तक 300 मी0 मार्ग-**प्रश्नगत ग्राम पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। मलखान सिंह कोटेदार के दरवाजे तक भाग ग्राम का आन्तरिक मार्ग है। अतः उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

4-**ग्रा0स0, खिरोधरपुर में कमालपुर रोड से कांजी के पुरवा से बसवई होते हुए खिरोधरपुर तक 800 मी0 मार्ग-**कमालपुर रोड से कांजी का पुरवा एवं बसवई ग्राम पूर्व में लेपित मार्ग से जुड़ा है। सलोन-ऊंचाहार मार्ग के किमी0 11 से निकलकर ग्राम खिरोधरपुर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.00 किमी0 वर्तमान में आर0आई0डी0एफ0-24 योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। ग्राम बसवई एवं ग्राम खिरोधर को आपस में जोड़ने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

5-**ग्रा0स0, बरारा बुजुर्ग में ऊधनपुर से रामपुर तक 500 मी0 मार्ग-**ग्राम सभा बरारा बुजुर्ग में ऊधनपुर पक्की रोड बी0यू0ए0 मार्ग (राज्य मार्ग सं0 38) के किमी0 178 पर स्थित है एवं ग्राम रामपुर, रसूलपुर धरावां सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है। पूर्व से जुड़े ग्रामों को आपस में जोड़ने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

6-**ग्रा0स0, बरारा बुजुर्ग में इलाहाबाद रोड से पूरे लाऊ तक 700 मी0 मार्ग-**यह मार्ग राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है।

7-**ग्रा0स0, बरारा बुजुर्ग में इलाहाबाद-कानपुर रोड से पूरे गोपाल सिंह गांव तक 200 मी0 मार्ग-**यह मार्ग पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है।

8-**ग्रा0स0, बांसी परान में ऊधनपुर रेलवे लाइन से बीबीपुर नहर पुल तक 1 कि0मी0 मार्ग-**मार्ग सभा बांसी परान का मजरा बीबीपुर बी0यू0ए0 मार्ग (राज्य मार्ग सं0 138) से किमी0 172 से निकलने वाले कोडऊ से सलरहा सम्पर्क मार्ग से पूर्व से ही जुड़ा है। अतः इसे दूसरी तरफ से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9-**ग्रा0स0, पखरौली व ग्रा0स0 बरारा बुजुर्ग कल्यानपुर बेंती रोड से विजयीपुर होते हुए पूरे गुरू पुरवा तक 2 कि0मी0 मार्ग**-ग्राम सभा पखरौली एवं ग्राम विजयीपुर, कल्यानपुर बैंती सम्पर्क मार्ग पर स्थित है। ग्राम सभा बरारा बुजुर्ग के अन्तर्गत गुरू का पुरवा एक ओर से पक्की रोड, कोडऊ से सेलरहा सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। पूर्व से जुड़े ग्रामों को आपस में जोड़ने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

10-**अड्डा से कल्याणी तक 2.5 कि0मी0 मार्ग**-ग्राम अड्डा पट्टी रहस कैथवल सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है एवं राजस्व ग्राम कल्याणी कल्यानीपुर सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है। उक्त प्रस्ताव डबल कनेक्टिविटी के कारण जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

11-**मानधाता पक्की रोड से कदलावा 500 मी0 मार्ग**-कदलावा (कुदलाबाद) मानधातापुर का मजरा है जिसकी आबादी वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार 200 है। वर्तमान में 250 से कम आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

12-**रामनाथ विद्यापीठ, निगोंहा से लाल का पुरवा, शुकुरूल्लापुर ऊंचाहार-रायबरेली होते हुए झोकवारा प्रतापगढ़ बार्डर तक 2 कि0मी0 मार्ग**-ग्राम निगोहा पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है, ग्राम शुकुरूल्लापुर निगोहा ग्राम का मजरा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम शुकुरूल्लापुर की आबादी 150 है। वर्तमान में 250 से कम आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

13-**करौली दमा से मनसुख मऊ तक वि0खं0 डलमऊ तक 3 कि0मी0 मार्ग**-ग्राम करौला दमा मुंशीगंज-डलमऊ-फतेहपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 13ए) से जुड़ा हुआ है एवं ग्राम मनसुखमऊ-सेन्दुरामऊ सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है। पूर्व से जुड़े ग्रामों को आपस में जोड़ने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

14-**अड्डा से कल्याणी तक वि0खं0 ऊंचाहार 1.5 कि0मी0 मार्ग**-ग्राम अड्डा पट्टी रहस कैथवल सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है एवं राजस्व ग्राम कल्याणी कल्यानीपुर सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है। उक्त प्रस्ताव डबल कनेक्टिविटी से संबंधित है। अतः लोक निर्माण की वर्तमान नीति से आच्छादित नहीं है।

15-**नेवलगंज से जैकी का पुरवा, बाबा का पुरवा होते हुए अवस्थी अलवलपुर से भेलई तिराहा गुरगुजपुर होते हुए गौरा लखनी के आगे बेला टेकई सान्हू कुआं पक्के मार्ग तक 5 कि0मी0 मार्ग**-प्रश्न में वर्णित नेवलगंज, बाबा का पुरवा, अवस्थी, अलावलपुर से भेलई तिराहा, गुरगुजपुर होते हुए गौरा लखनी, बेला टेकई, सान्हू कुआं आदि समस्त ग्राम पूर्व से एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं तथा ग्राम जैकी का पुरवा की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 180 है। अतः वर्तमान में 250 से कम आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने की योजना लोक निर्माण विभग में संचालित नहीं है।

16-**धोबहा सम्पर्क मार्ग 850 मी0 मार्ग**-ग्राम धोबहा पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है।

17-**गौरा लखनी सम्पर्क मार्ग 800 मी0 मार्ग**-ग्राम गौरा लखनी पूर्व में चन्दौली सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। अतः डबल कनेक्टिविटी हेतु विभाग में कोई योजना संचालित नहीं है।

18-**कटरा सम्पर्क मार्ग 800 मी0 मार्ग**-उक्त मार्ग सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना निर्माणाधीन है।

19-**सराय सहिजन सम्पर्क मार्ग 600 मी0 मार्ग**-ग्राम सराय सहिजन पूर्व में लेपित मार्ग से जुड़ा है।

20-**सिकन्दरपुर सम्पर्क मार्ग 250 मी0 मार्ग**-ग्राम सिकन्दरपुर की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 405 है। मार्ग का स्तर 0.250 किमी0 कच्चा है एवं मार्ग निर्माण हेतु अनुमानित लागत रु0 13.00 लाख है जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

21-**कमौली पक्की सड़क से पूरन शाहपुर होते हुए पूरे सरबादा तक 1 कि0मी0 मार्ग**-मजरा पूरन शाहपुर की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 230 है। वर्तमान में 250 से कम आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है तथा ग्राम पूरे सरबादा पूर्व निर्मित मार्ग से जुड़ा है।

22-**सरायंभान से जीत का पुरवा 700 मी0 मार्ग**-ग्राम पंचायत कन्दरावां के मजरा पूरे जीत की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 185 है। वर्तमान में 250 से कम आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।]

गेल कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर दिये जाने एवं पी0 एण्ड एम0पी0 ऐक्ट 1962 में संशोधन के सम्बन्ध में श्री प्रभुनारायण सिंह यादव द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस संबंध में जिलाधिकारी, चन्दौली से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि....

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[सक्षम प्राधिकारी गेल (इण्डिया) लिमिटेड, वाराणसी, उ0 प्र0 की आख्या दिनांक 08.02.2019 के अनुसार प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना अन्तर्गत गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा जनहित में जगदीशपुर, हल्दिया भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य प्रगति पर है जिसके विरोध में ग्राम महंगांव के किसानों ने माह जुलाई, 2018 में कार्य रोक दिया तथा मई व जून, 2018 में ग्राम मंहगांव, सर्वानन्द पुर व मथेला में कार्य बाधित रहा। माह जुलाई, 2018 से माह अक्टूबर, 2018 तक जल भराव के कारण कार्य सम्पन्न नहीं हो सका। दिनांक

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

19-11-2018 को उप जिलाधिकारी, सकलडीहा व क्षेत्राधिकारी (पुलिस), सकलडीहा की उपस्थिति में किसानों से सौहार्दपूर्ण वार्ता के उपरान्त ग्राम मंहगांव से कार्य प्रारम्भ किया गया। जो सुचारु रूप से बिना किसी रुकावट के सम्मानित कृषकों के अपेक्षित सहयोग से सम्पन्न हो गया है। उक्त ग्राम के किसानों को पी0 एण्ड एम0पी0 ऐक्ट, 1962 के प्राविधान के तहत जनपद चन्दौली के सन् 2015-16 के सर्किल रेट के अनुसार प्रयोगाधिकार हेतु अर्जित (आर0ओ0यू0) 30 मीटर चौड़ाई की भूमि का प्रतिकर भुगतान किया जा रहा है। अब तक लगभग 90 प्रतिशत कृषकों को नियमानुसार प्रतिकार का भुगतान किया जा चुका है। परियोजना अन्तर्गत अस्थायी रूप से भूमि अध्यापित (प्रयोगाधिकार अर्जन) किया गया है। भूमि का मालिकाना हक भू-स्वामी का ही रहेगा। परियोजनान्तर्गत प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को स्थायी अथवा अस्थायी रोजगार प्रदान करने का कोई प्राविधान सम्प्रति अधिनियम में नहीं है। प्रतिकर जनपद चन्दौली के सर्किल रेट से ही दिया गया है।]

जनपद बस्ती के भूमिधारी आराजी संख्या-579, 580, 542/80 तथा 542/12 पर अवैध कब्जा हटा कर पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसे स्थगित करने का अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

यह मद व्यपगत रहेगी।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसे भी स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

यह मद व्यपगत रहेगी।

उ0 प्र0 के शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाये जाने हेतु न्यायोचित निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती जयदेवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसे स्थगित करने का अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

यह मद भी व्यपगत रहेगी।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज में तहसील सगड़ी में सरयू नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नफीस अहमद द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, गण्डक संगठन में जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत छोटी सरयू ट्रंक ड्रेन की....

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[कुल लम्बाई 74.400 किमी0, डिस्चार्ज 50 क्यूमेक है। जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज, तहसील सगड़ी के ग्राम सभा अवसानपुर व सिकन्दरपुर के बीच छोटी सरयू ट्रंक ड्रेन पर पुल की मांग की गयी है। मांग स्थल से लगभग 01 कि0मी0 ऊपर छोटी सरयू ट्रंक ड्रेन पर पुल पूर्व से ही निर्मित है, जिससे ग्रामवासियों एवं वाहनों का आवागमन होता है। मांग स्थल पर ट्रंक ड्रेन के दोनों तरफ पक्की सड़क नहीं है। मांग स्थल पर पुल निर्माण की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती है।]

(घोर व्यवधान के मध्य।)

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय सदस्यों से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता के हित में, सदन के हित में, सभी माननीय सदस्यों के हित में, सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का गला इस सदन में सपा और बसपा के द्वारा घोटा जा रहा है। मान्यवर, नारे में लोकतंत्र की दुहाई है और आचरण और व्यवहार लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। मान्यवर, यह लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते। इनको जनता ने सबक दिया, इनको सबक लेना चाहिए। मान्यवर, सरकार की यह पूरी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम रखें, प्रयागराज में शान्ति व्यवस्था कायम रखे और इसलिए यह कदम उठाया गया। इनको सहर्ष इसको स्वीकार करना चाहिए और कानूनी तरीके से इन लोगों को व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद पर रहा हो, उसको कम से कम इतना मर्यादित व्यवहार करना चाहिए और कानून को मानना चाहिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, लोकतंत्र की हत्या यह सरकार कर रही है, यह लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय सदस्यों का बहुत आदर करता हूं, पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ, मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर अपनी बात कहें। चूंकि अब तो आपकी रुचि नहीं है, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूँ।

अब हम उठते हैं, कल पुनः पूर्वाह्न 11:00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 48 मिनट पर बुधवार, 13 फरवरी, 2019 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 12 फरवरी, 2019 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी ''क''

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-02 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 13 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर का संलग्नक-

क्रमांक	विभाग का कोड	विभाग का नाम	दिनांक 08/02/2019 तक ई-आफिस में खोली गयी कुल पत्रावलियां
1	2	3	4
1	1	राजस्व	557
2	2	नियुक्ति	243
3	3	सामान्य प्रशासन	8
4	4	संस्कृति	339
5	5	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	566
6	6	गृह	2643
7	7	न्याय	145
8	8	आवास एवं शहरी नियोजन	586
9	9	नगर विकास	118
10	10	वित्त	95
11	11	कर एवं निबंधन	321
12	12	कृषि	403
13	13	आबकारी	193
14	14	वन एवं वन्यजीव	355
15	15	माध्यमिक शिक्षा	117
16	16	प्राविधिक शिक्षा	219
17	17	मत्स्य उत्पादन	135
18	18	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग	595
19	19	सूचना	186
20	20	सचिवालय प्रशासन	420
21	21	भाषा	49
22	22	कारागार प्रशासन एवं सुधार	387
23	23	लोक निर्माण	985
24	24	ऊर्जा	400
25	25	गोपन	405
26	26	समाज कल्याण	442
27	27	सिंचाई एवं जल संसाधन	601

1	2	3	4
28	28	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय	21
29	29	खाद्य एवं रसद	967
30	30	परिवहन	319
31	31	कार्यक्रम कार्यान्वयन	10
32	32	राज्य सम्पत्ति	793
33	33	पंचायतीराज	119
34	34	मुख्यमंत्री कार्यालय	3126
35	35	नियोजन	95
36	36	श्रम	433
37	37	पशुधन	102
38	38	ग्राम्य विकास	552
39	39	सतर्कता	519
40	40	राष्ट्रीय एकीकरण	27
41	41	पर्यटन	53
42	42	खेल	164
43	43	प्रशासनिक सुधार	2
44	44	सार्वजनिक उद्यम	80
45	45	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	60
46	46	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	164
47	47	कार्मिक	55
48	48	सैनिक कल्याण	263
49	49	सहकारिता	105
50	50	युवा कल्याण	232
51	51	प्रोटोकाल	131
52	52	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	147
53	53	दुग्ध विकास	191
54	54	बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार	100
55	55	पर्यावरण	202
56	56	नागरिक उड्डयन	289
57	57	धर्मार्थ कार्य	9
58	58	उद्यान	40
59	59	खादी एवं ग्रामोद्योग	202
60	60	महिला कल्याण	48
61	61	निर्वाचन	15

1	2	3	4
62	62	लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल	152
63	63	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	248
64	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	307
65	65	दिव्यांगजन सशक्तीकरण	311
66	66	खाद्य प्रसंस्करण	5
67	67	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	61
68	68	बेसिक शिक्षा	32
69	69	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	20
70	70	उच्च शिक्षा	72
71	71	चिकित्सा शिक्षा	57
72	72	वाह्य सहाययित परियोजना	23
73	73	समन्वय	28
74	74	रेशम विकास	35
75	75	संस्थागत वित्त	5
76	77	औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना	121
77	78	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स	289
78	79	विधायी	54
79	80	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार	222
80	82	राजनैतिक पेंशन एवं उ0 प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्	78
81	83	नागरिक सुरक्षा	13
82	84	उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप	364
83	85	परती भूमि विकास	19
84	86	भूतत्व एवं खनिकर्म	597
85	87	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	44
86	88	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	13
87	89	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	165
88	90	संसदीय कार्य	17
89	91	लोक सेवा प्रबंधन	1
90	92	ग्रामीण अभियंत्रण	194
91	93	एन0आर0आई0	8
92	94	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	78
93	95	होमगार्ड्स	169
94	96	आयुष	56
		कुल योग . .	**25006**

नत्थी ''ख''

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-02 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-25 पर।)

सूची अभियुक्तगण नाम व पता सहित

नाम थाना	मु0अ0सं0 व धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम, पिता का नाम व पता
धौरहरा	588/18, धारा-2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-रमजान उर्फ रमजानी पुत्र बवई उर्फ बदरुद्दीन, निवासी दौलतपुर मजरा जगतापुर, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच। 2-सलीम पुत्र अमीर हम्जा, निवासी शुक्ला वार्ड, कस्बा व थाना धौरहरा, जनपद खीरी। 3-चुन्नू पुत्र इसराइल, निवासी मो0 पठान वार्ड, कस्बा व थाना धौरहरा, जनपद खीरी। 4-नफीस पुत्र सद्दीक, निवासी मो0 पठान वार्ड, कस्बा व थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	504/18, धारा-2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-मोलहे पुत्र महरुम, 2-गुलाम पुत्र हबीब, 3-भुइहारे पुत्र जलालुद्दीन, 4-मोहर्रम पुत्र जलालुद्दीन, निवासीगण ग्राम पठानपुरवा, थाना निघासन, जनपद खीरी।
धौरहरा	447/18, धारा-2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-अतीरसूल पुत्र जहूर, 2-छोटे पुत्र बाबू, 3-लतीफ पुत्र जहूर, 4-गड्डे पुत्र पसेरू, 5-बाबू पुत्र मसूद निवासीगण शेखनपुरवा, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	262/18, धारा-2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-अनिल पासी पुत्र शत्रोहन लाल पासी, निवासी मिर्जापुरवा, थाना धौरहरा, जनपद खीरी। 2-विशेश्वर पासी पुत्र बालकराम पासी, निवासी लोहानी, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-महरुद्दीन पुत्र बुग्गी, निवासी पठान वार्ड, कस्बा व थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-ताहिर पुत्र बुग्गी, निवासी पठान वार्ड, कस्बा व थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-साजिद पुत्र ताहिर, निवासी पठान वार्ड, कस्बा व थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-नईम पुत्र बिलाल, निवासी पठान वार्ड, कस्बा व थाना धौरहरा, जनपद खीरी।

नाम थाना	मु0अ0सं0 व धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम, पिता का नाम व पता
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-बदरुद्दीन पुत्र बुग्गी, निवासी पठान वार्ड, कस्बा व थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-मिथलेश पुत्र छोटेलाल, निवासी हौकना मटेरा, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-राम सहाय पुत्र सियाराम, निवासी हौकना मटेरा, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-कनौजी पुत्र भन्नू गौतम, निवासी हौकना मटेरा, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-सद्दाम पुत्र जाबिर, निवासी खरवहिया, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-मुबारक पुत्र बसीर अहमद, निवासी खरवहिया, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-शहजाद पुत्र रहमतुल्ला अहमद, निवासी खरवहिया, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-इकलाख पुत्र रफीक, निवासी खरवहिया, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-साबिर पुत्र समीउल्लाह, निवासी महराज नगर, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-नदिर पुत्र समीउल्लाह, निवासी महराज नगर, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-चुन्नी पुत्र निजामुद्दीन, निवासी महराज नगर, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-कलीम पुत्र मेंहदी, निवासी महराज नगर, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-डाबी उर्फ नसरत अली पुत्र इब्राहिम गद्दी, निवासी कुर्तिहया मजरा सुजानपुर, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-मंगरे पुत्र विशेश्वर, निवासी खरवहिया, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-प्रेमी पुत्र सुकई, निवासी खरवहिया, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।

नाम थाना	मु0अ0सं0 व धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम, पिता का नाम व पता
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-सोबर लाल पुत्र हरी, निवासी भकुरहिया मजरा अमेठी, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-राज किशोर पुत्र छैलू, निवासी करौहा, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
धौरहरा	3(3) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-हगेडू पुत्र टाऊ, निवासी कफारा, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
निघासन	23/18, धारा 2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-अयूब पुत्र हसन रजा, निवासी त्रिलोक पुर, थाना पलिया, जनपद खीरी। 2-खलील पुत्र मुस्तफा, निवासी झब्बापुरवा मजरा मझगई, थाना पलिया, जनपद खीरी।
निघासन	293/18, धारा 2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-इसरार पुत्र छेद्दू खॉ, निवासी पठान वार्ड, कस्बा व थाना धौरहरा, जनपद खीरी। 2-भल्लर पुत्र हनीफ, निवासी पठाननपुरवा मजरा पढ़वा, जनपद खीरी।
निघासन	489/18, धारा 2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-यूनुस पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी ग्राम डडूरी, थाना निघासन, जनपद खीरी। 2-कुतुबुद्दीन पुत्र इरसाद अली, निवासी ग्राम डडूरी, थाना निघासन, जनपद खीरी। 3-इन्द्रपाल पुत्र भवानी प्रसाद, निवासी बाबागंज मजरा बौरिया, थाना निघासन, जनपद खीरी। 4-इम्तियाज पिद्दी पुत्र फैजनूर, निवासी पठाननपुरवा मजरा पढुवा, थाना निघासन, जनपद खीरी।
निघासन	3(1) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-मेराज उर्फ मिन्हाज पुत्र सिरताज, निवासी बिनौरा, थाना निघासन, जनपद खीरी।
निघासन	3(1) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-मेराज पुत्र आशिक अली, निवासी बिनौरा, थाना निघासन, जनपद खीरी।
निघासन	3(1) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-इकराम पुत्र कल्लू दिलदार, निवासी बिनौरा, थाना निघासन, जनपद खीरी।
निघासन	3(1) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-बालमुकुन्द पुत्र भगवानी, निवासी खरवहिया नं0 2, थाना निघासन, जनपद खीरी।
निघासन	3(1) उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-इरफान पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी ढखेरवा, थाना निघासन, जनपद खीरी।

नाम थाना	मु0अ0सं0 व धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम, पिता का नाम व पता
ईशानगर	213/18, धारा-2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-मुन्नीलाल पुत्र शिवराज पासी, निवासी मन्दूरा, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
		2-राजेन्द्र पुत्र बेचेलाल, निवासी गौरा झबरा, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
		3-कलामू पुत्र इतवारी, निवासी गौरा झबरा, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	227/18, धारा-2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-हसन पुत्र इदरीश खॉ, निवासी जुगनूपुर, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
		2-गुफरान पुत्र इन्ताज नाई, निवासी जुगनूपुर, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
		3-देशराज यादव पुत्र सुन्दर लाल, निवासी देवी पुरवा, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
ईशानगर	232/18, धारा-2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-रिन्कू पुत्र मुन्शीलाल, निवासी जेठरा, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
		2-सुशील गिरी पुत्र बाबूराम, निवासी जेठरा, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
		3-राजेन्द्र पुत्र श्रीराम, निवासी मोहनपुरवा, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	233/18, धारा-2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-विष्णू सिंह पुत्र सुमेर सिंह, निवासी परसिया, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
		2-गुरदीप सिंह पुत्र पल्लू सिंह, निवासी परसिया, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	304/18, धारा-2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-जामिन पुत्र आमिन, निवासी सिसैया, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
		2-मो0 सफीक पुत्र शहीद खॉ, निवासी सिसैया, थाना धौरहरा, जनपद खीरी।
ईशानगर	400/18, धारा-2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	1-श्रीकेशन पुत्र कुन्जी लाल, निवासी डेबर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
		2-घनश्याम पुत्र कुन्जी लाल, निवासी डेबर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
		3-राम श्वरूप पुत्र कुन्जी लाल, निवासी डेबर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।

नाम थाना	मु0अ0सं0 व धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम, पिता का नाम व पता
ईशानगर	400/18, धारा-2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट	4-नन्दराम पुत्र कुन्जी लाल, निवासी डेबर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
		5-प्रमोद पुत्र श्रीकेशन, निवासी डेबर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
		6-अवधराम पुत्र श्रीकेशन, निवासी डेबर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-छोटे सिंह पुत्र भगौती सिंह, निवासी चिन्ता पुरवा मजरा बिरसिंह पुर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-तीरथ राम पुत्र माधवराम, निवासी हसनापुर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-लतीफ पुत्र रसीद, निवासी चन्द्रासा कलॉ, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-मो0 जन पुत्र अली अहमद, निवासी चन्द्रासा कलॉ, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-समीम पुत्र आकूब, निवासी चन्द्रासा कलॉ, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-पतिराम पुत्र राम लोटन, निवासी मितौला, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-प्यारे लाल पुत्र विश्राम पासी, निवासी सरावल मजरा लौकाही, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-मून यादव पुत्र बांके लाल, निवासी कैराती पुरवा, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-दीनबन्धु पुत्र बेचन, निवासी चिन्ता बिलौली, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-रामजी पुत्र श्रीकेशन, निवासी धुन्धाकलॉ, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-आरिफ पुत्र मोबीन, निवासी जेठरा, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-सोने लाल पुत्र राजा राम, निवासी सुरजनपुर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।

नाम थाना	मु0अ0सं0 व धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम, पिता का नाम व पता
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-रामसिंह पुत्र श्याम लाल, निवासी रमनगरा, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-नान्हा पुत्र केशव राम गिरी, निवासी मटरिया मजरा अल्लीपुर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-झबलऊ पुत्र बुद्धा, निवासी हसनपुर कटौली, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-संतोष कुमार पुत्र बनवारी गौतम, निवासी दुर्गापुर पडरी, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-दीपू पुत्र पुखई, निवासी लोधनपुर मजरा शंकरपुर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-कल्लू पुत्र छोटेलाल, निवासी खनवापुर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-राम खेलावन पुत्र कन्हई, निवासी मंगलदीनपुरवा मजरा हसनपुर कटौली, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-नरोत्तम पुत्र उमेश, निवासी जमदरी मिर गांव, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-गुड्डू पुत्र गंगाराम, निवासी खनवापुर, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-पुरुषोत्तम पुत्र बेचेलाल, निवासी सरैया कलॉ, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-अकल कुमार मिश्रा पुत्र ओमकार मिश्रा, निवासी सरैया कलॉ, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-विनोद चौहान पुत्र महावीर चौहान, निवासी टेडिया मजरा सरैया कलॉ, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।
ईशानगर	3 उ0 प्र0 गुण्डा नि0 अधिनियम	1-श्रवण कुमार मिश्र पुत्र चन्द्रशेखर, निवासी सरैया कलॉ, थाना ईशानगर, जनपद खीरी।

पुलिस अधीक्षक,
खीरी।

नत्थी ''ग''

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-04 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 26 पर।)

तहसील धौरहरा के निम्न ग्रामों की आवंटित लाभार्थियों की सूची

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम पिता/पति का नाम व पता	जाति	गाटा संख्या	रकबा (हे0 में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	धौरहरा	सुरेन्द्र कुमार पुत्र बदलू व श्रीमती माधुरी पत्नी सुरेन्द्र कुमार, नि0 फततेपुर	तमोली	2 किता	0.154	कृषि
2	मडवा	रेश्मा देवी पत्नी प्यारे लाल व प्यारेलाल पुत्र मैकू लाल, नि0 मडवा	चमार	657मि0	0.160	कृषि
3	मडवा	नन्दराम पुत्र मैकूलाल व मुन्नी देवी पत्नी नन्दराम ,नि0 मडवा	चमार	725कमि0	0.160	कृषि
4	मडवा	पप्पू कुमार पुत्र रमईदास व सुमनलता पत्नी पप्पू कुमार, नि0 मडवा	चमार	657मि0	0.160	कृषि
5	मडवा	गोवर्धन लाल पुत्र रमईदास व अनुराधा पत्नी गोवर्धन लाल, नि0 मडवा	चमार	657मि0	0.160	कृषि
6	मडवा	रामप्रसाद पुत्र जराखन व राधा देवी पत्नी रामप्रसाद, नि0 मडवा	चमार	725कमि0	0.160	कृषि
7	मडवा	दीपू पुत्र तुलाराम व सावित्री देवी पत्नी दीपू, नि0 मडवा	चमार	657मि0	0.160	कृषि
8	मडवा	छोटेलाल पुत्र नान्हू व अनुराधा पत्नी छोटेलाल, नि0 मडवा	चमार	657मि0	0.160	कृषि
9	मडवा	अशोक कुमार पुत्र मनोहर लाल व अनीता देवी पत्नी अशोक कुमार, नि0 मडवा	चमार	657मि0	0.160	कृषि
10	मडवा	कान्ती देवी पत्नी मालती प्रसाद, नि0 मडवा	चमार	775कमि0	0.160	कृषि
11	मडवा	पंकज पुत्र जगदेव प्रसाद व संगीता पत्नी पंकज, नि0 मडवा	चमार	661मि0	0.160	कृषि
12	मडवा	रामकिशोर पुत्र पृथ्वीपाल व रेनू देवी पत्नी रामकिशोर, नि0 मडवा	गोडिया	2 किता	0.156	कृषि
13	मडवा	रमेश पुत्र पृथ्वीपाल व रीना देवी पत्नी रमेश, नि0 मडवा	गोडिया	801मि0	0.156	कृषि
14	मडवा	जयप्रकाश पुत्र रामपाल व रिंकी देवी पत्नी जयप्रकाश, नि0 मडवा	गोडिया	2 किता	0.160	कृषि
15	मडवा	हीरालाल पुत्र रामसागर व मुन्नी देवी पत्नी हीरालाल	ब्राह्मण	1032मि0	0.151	कृषि

1	2	3	4	5	6	7
16	मडवा	पप्पू निषाद पुत्र भोला व शान्ती पत्नी पप्पू, नि0 मडवा	गोडिया	1031मि0	0.161	कृषि
17	मडवा	राजेश कुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद व शिवानी पत्नी राजेश कुमार, नि0 मडवा	गोडिया	1031मि0	0.161	कृषि
18	मडवा	फूलमती बेवा मौजीलाल, नि0 मडवा	गोडिया	1031मि0	0.161	कृषि
19	मडवा	इन्द्रपाल पुत्र प्यारेलाल व संगीता पत्नी इन्द्रपाल, नि0 मडवा	गोडिया	1031मि0	0.161	कृषि
20	मडवा	अमरीक पुत्र पुत्तूलाल व अनीता पत्नी अमरीक, नि0 मडवा	गोडिया	782मि0	0.160	कृषि
21	मडवा	दिनेश कुमार पुत्र शत्रोहन लाल व गीता देवी पत्नी दिनेश कुमार, नि0 मडवा	गोडिया	2 किता	0.132	कृषि
22	मडवा	नत्थू पुत्र केशरी व केवला देवी पत्नी नत्थू, नि0 मडवा	गोडिया	783मि0	0.160	कृषि
23	मडवा	नरसिंह पुत्र त्रिभुवन लाल व आशा देवी पत्नी नरसिंह, नि0 मडवा	लोध	658मि0	0.160	कृषि
24	मडवा	त्रिभुवन लाल पुत्र भगवानदीन व रामकली पत्नी त्रिभुवन लाल, नि0 मडवा	लोध	658मि0	0.160	कृषि
25	मडवा	संजय कुमार पुत्र रामस्वरूप व अनीता देवी पत्नी संजय कुमार, नि0 मडवा	लोध	2 किता	0.160	कृषि
26	मडवा	शिवकुमार पुत्र राममनोहर व तारावती पत्नी शिवकुमार, नि0 मडवा	गोडिया	798मि0	0.160	कृषि
27	मडवा	रामसिंह पुत्र त्रिभुवनलाल, नि0 मडवा	लोध	657मि0	0.160	कृषि
28	मडवा	चुन्नी लाल पुत्र चन्द्रभान व रामकली पत्नी चुन्नी लाल, नि0 मडवा	गोडिया	658मि0	0.160	कृषि
29	मडवा	विक्रम सिंह पुत्र सोहन लाल व संगीता पत्नी विक्रम सिंह, नि0 मडवा	लोध	658मि0	0.160	कृषि
30	मडवा	अनिल कुमार पुत्र पुत्तू लाल व शकुन्तला पत्नी अनिल कुमार, नि0 मडवा	गोडिया	2 किता	0.159	कृषि
31	मडवा	श्यामलाल पुत्र पुत्तूलाल व श्यामवती पत्नी श्यामलाल, नि0 मडवा	गोडिया	727मि0	0.151	कृषि
32	मडवा	राधा पत्नी स्व0 श्रवण कुमार, नि0 मडवा	गोडिया	2 किता	0.160	कृषि
33	मडवा	मुन्ना लाल पुत्र पुत्तूलाल व रीता देवी पत्नी मुन्ना लाल, नि0 मडवा	गोडिया	726मि0	0.168	कृषि
34	मडवा	दिनेश पुत्र राजाराम व सोनम देवी पत्नी दिनेश, नि0 मडवा	नाई	698मि0	0.160	कृषि

1	2	3	4	5	6	7
35	मडवा	सुनील पुत्र पुत्तूलाल व सुनीता पत्नी सुनील, नि0 मडवा	गोडिया	2 किता	0.160	कृषि
36	मडवा	वेदपाल पुत्र प्यारेलाल, नि0 मडवा	गोडिया	658मि0	0.160	कृषि
37	मडवा	कुन्जबिहारी पुत्र प्रेमपाल व सुलोचना पत्नी कुन्जबिहारी, नि0 मडवा	लोध	658मि0	0.160	कृषि
38	मडवा	प्रमोद कुमार पुत्र प्रेमपाल व किरन पत्नी प्रमोद कुमार, नि0 मडवा	लोध	658मि0	0.160	कृषि
39	मडवा	अन्शु पुत्र सुमिरनदास व सुमिरनदास पुत्र निर्गणदास, नि0 मडवा	लोनिया	658मि0	0.160	कृषि
40	मडवा	रामकुमार पुत्र बैजू व राजरानी पत्नी रामकुमार, नि0 मडवा	नाई	661मि0	0.160	कृषि
41	मडवा	राजकुमार पुत्र हीरालाल व मोहिनी पत्नी राजकुमार, नि0 मडवा	अहीर	661मि0	0.160	कृषि
42	मडवा	कमलेश कुमार पुत्र श्रीकृष्ण व सुनीता पत्नी कमलेश कुमार, नि0 मडवा	गोडिया	659मि0	0.164	कृषि
43	मडवा	अशोक कुमार पुत्र बांकेलाल व मीरा देवी पत्नी अशोक कुमार, नि0 मडवा	गोडिया	690मि0	0.150	कृषि
44	मडवा	बब्बलू पुत्र मिश्रीलाल व पूनम पत्नी बब्लू, नि0 मडवा	गोडिया	690मि0	0.150	कृषि
45	मडवा	उत्तम पुत्र मिश्रीलाल व आरती पत्नी उत्तम, नि0 मडवा	गोडिया	725डमि0	0.155	कृषि
46	मडवा	रामकली पत्नी स्व0 टोणी, नि0 मडवा	गोडिया	725कमि0	0.155	कृषि
47	मडवा	रामबहादुर पुत्र मूला व पूनम देवी पत्नी रामबहादुर, नि0 मडवा	गोडिया	725डमि0	0.155	कृषि
48	मडवा	जगदीश कुमार पुत्र प्रसादी व नीरमा पत्नी जगदीश कुमार, नि0 मडवा	गोडिया	725डमि0	0.155	कृषि
49	मडवा	जगदीश पुत्र राममनोहर व रामकली पत्नी जगदीश, नि0 मडवा	गोडिया	725डमि0	0.155	कृषि
50	मडवा	देवराज पुत्र छोटेलाल व अनीता पत्नी देवराज, नि0 मडवा	गोडिया	2 किता	0.157	कृषि
51	मडवा	हरिकिशुन पुत्र बैजनाथ व मालती पत्नी हरिकिशुन, नि0 मडवा	गोडिया	687मि0	0.160	कृषि
52	मडवा	पुजारी पुत्र रामबली, नि0 मडवा	लोध	687मि0	0.160	कृषि
53	मडवा	राजकिशोर पुत्र रामबली व शांती देवी पत्नी राजकिशोर, नि0 मडवा	लोध	687मि0	0.160	कृषि
54	मडवा	हरिवंश पुत्र बांकेलाल व शिवरानी पत्नी हरिवंश, नि0 मडवा	लोध	687मि0	0.160	कृषि

1	2	3	4	5	6	7
55	मडवा	रमेश पुत्र बांकेलाल व श्यामा देवी पत्नी रमेश, नि0 मडवा	लोध	687मि0	0.160	कृषि
56	मडवा	त्रिजुगीनरायन पुत्र श्रीकृष्ण व आरती देवी पत्नी त्रिजुगीनरायन, नि0 मडवा	गोडिया	687मि0	0.160	कृषि
57	मडवा	मुन्द्रिका प्रसाद पुत्र महावीर, नि0 मडवा	गोडिया	675मि0	0.160	कृषि
58	मडवा	कौशल किशोर पुत्र जुगुल किशोर व कौशल्या पत्नी कौशल किशोर, नि0 मडवा	लोध	675मि0	0.160	कृषि
59	मडवा	राजेश कुमार पुत्र रामखेलावन व उर्मिला पत्नी राजेश कुमार, नि0 मडवा	ब्राह्मण	643मि0	0.160	कृषि
60	मडवा	रामू पुत्र हरिराम व मीरा देवी पत्नी रामू, नि0 मडवा	गोडिया	659मि0	0.164	कृषि
61	मडवा	विनोद कुमार पुत्र बनवारी लाल व श्यामा देवी पत्नी विनोद कुमार, नि0 मडवा	गोडिया	643मि0	0.148	कृषि
62	डिहुआ कलां	रामसजीवन पुत्र पराग व रामरानी पत्नी रामसजीवन, नि0 डिहुआ कलां	पासी	2 किता	9.505 0.166	कृषि
63	डिहुआ कलां	दीपूलाल पुत्र रामप्रसाद व लक्ष्मी देवी पत्नी दीपूलाल, नि0 डिहुआ कलां	पासी	309मि0	0.160	कृषि
64	डिहुआ कलां	रमेश पुत्र छविनाथ व रामकली पत्नी रमेश, नि0 डिहुआ कलां	पासी	309मि0	0.160	कृषि
65	डिहुआ कलां	कमलकिशोर पुत्र छविनाथ व रामजी पत्नी कमलकिशोर, नि0 डिहुआ कलां	पासी	309मि0	0.160	कृषि
66	डिहुआ कलां	गीता देवी पत्नी गोगे, नि0 डिहुआ कलां	पासी	309मि0	0.160	कृषि
67	डिहुआ कलां	भगवानदीन पुत्र कल्लू व कल्लो पत्नी भगवानदीन, नि0 डिहुआ कलां	पासी	4 किता	0.177	कृषि
68	डिहुआ कलां	श्यामू पुत्र दुर्जन व रामकली पत्नी श्यामू, नि0 डिहुआ कलां	पासी	350	0.162	कृषि
69	डिहुआ कलां	शत्रोहन पुत्र रामेश्वर व उर्मिला देवी पत्नी शत्रोहन, नि0 मेडकौहा	चमार	2 किता	0.162	कृषि
70	डिहुआ कलां	विशम्भर पुत्र गोकरन व माया देवी पत्नी विशम्भर, नि0 मेडकौहा	चमार	637मि0	0.152	कृषि
71	डिहुआ कलां	राजकिशोर पुत्र गोगे व फूलमती पत्नी राजकिशोर, नि0 डिहुआ कलां	पासी	637मि0	0.152	कृषि
72	डिहुआ कलां	सतीश पुत्र छविनाथ व कमला पत्नी सतीश, नि0 डिहुआ कलां	पासी	637मि0	0.151	कृषि

1	2	3	4	5	6	7
73	डिहुआ कलां	अंकित कुमार पुत्र महावीर, नि0 तुलसीरामपुरवा	चमार	637मि0	0.151	कृषि
74	डिहुआ कलां	दीपक कुमार पुत्र महावीर व संगीता पत्नी दीपक कुमार, नि0 तुलसीरामपुरवा	चमार	637मि0	0.152	कृषि
75	डिहुआ कलां	पराग पुत्र श्यामलाल व पर्वता पत्नी पराग, नि0 डिहुआ कलां	चमार	602	0.178	कृषि
76	डिहुआ कलां	यशपाल पुत्र कल्लूराम व चन्द्रकली पत्नी यशपाल, नि0 नान्हूपुरवा	कोरी	2 किता	0.170	कृषि
77	डिहुआ कलां	रामप्रसाद पुत्र रामकुमार व महराजा पत्नी रामप्रसाद, नि0 नान्हूपुरवा	गोडिया	707	0.162	कृषि
78	डिहुआ कलां	महेश कुमार पुत्र रामकुमार व जयदेवी पत्नी महेश कुमार, नि0 डिहुआ कलां	अहीर	901मि0	0.164	कृषि
79	डिहुआ कलां	जगदीश पुत्र रामकुमार व जगदेई पत्नी जगदीश, नि0 डिहुआ कलां	गोडिया	2 किता	0.164	कृषि
80	डिहुआ कलां	रमेश पुत्र रामकुमार व रूपा देवी पत्नी रमेश कुमार, नि0 डिहुआ कलां	गोडिया	902	0.150	कृषि
81	डिहुआ कलां	रमेश पुत्र रामकुमार व सर्मीला पत्नी रमेश कुमार, नि0 डिहुआ कलां	अहीर	903	0.155	कृषि
82	डिहुआ कलां	सुभाषिनी पत्नी स्व0 तेजबहादुर, नि0 तुलसीरामपुरवा	कुर्मी	3 किता	0.175	कृषि
83	डिहुआ कलां	शांती देवी पत्नी स्व0 रामकुमार, नि0 डिहुआ कलां	अहीर	999मि0	0.155	कृषि
84	डिहुआ कलां	कमलकिशोर पुत्र मालती व रीता देवी पत्नी कमल किशोर, नि0 डिहुआ कलां	गड़रिया	1391मि0	0.155	कृषि
85	डिहुआ कलां	वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार, नि0 डिहुआ कलां	अहीर	2 किता	0.176	कृषि
86	ओझापुरवा	राकेश पुत्र कंधई व राधा देवी पत्नी राकेश, नि0 ओझापुरवा	अनु0 जाति	1018ड/1	0.405	कृषि
87	ओझापुरवा	गोदे पुत्र बहाऊ व मीरा देवी पत्नी गोदे, नि0 ओझापुरवा	अनु0 जाति	1018ड/2	0.405	कृषि
88	ओझापुरवा	अमेरिका पुत्र तोखे व रामरानी पत्नी अमेरिका, नि0 ओझापुरवा	अनु0 जाति	1018ड/3	0.405	कृषि
89	ओझापुरवा	रोहित पुत्र अनुरुद्ध व अनारकली पत्नी रोहित, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/4	0.405	कृषि
90	ओझापुरवा	राजाराम पुत्र रामासरे व राजरानी पत्नी राजाराम, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/5	0.405	कृषि

1	2	3	4	5	6	7
91	ओझापुरवा	छोटकन पुत्र सियाराम व शिवरानी पत्नी छोटकन, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/6	0.405	कृषि
92	ओझापुरवा	प्रेमचंद पुत्र बलेश्वर व प्रेमा देवी पत्नी प्रेमचंद, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/7	0.405	कृषि
93	ओझापुरवा	रामाशीष पुत्र संतराम, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/8	0.405	कृषि
94	ओझापुरवा	बोधनरायन पुत्र पुत्तू व बसंती पत्नी बोधनरायन, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/9	0.405	कृषि
95	ओझापुरवा	प्रहलाद पुत्र रामखिलावन व जमुना देवी पत्नी प्रहलाद, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/10	0.405	कृषि
96	ओझापुरवा	अमित कुमार पुत्र रामकुमार व सावित्री पत्नी अमित कुमार, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/11	0.405	कृषि
97	ओझापुरवा	श्री कृष्ण पुत्र हरीराम व सावित्री पत्नी श्री कृष्ण, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/12	0.405	कृषि
98	ओझापुरवा	रमेश पुत्र रामलखन व रामा देवी पत्नी रमेश, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/13	0.317	कृषि
99	ओझापुरवा	मनमोहन पुत्र रामनरेश व पिंकी पत्नी मनमोहन, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/14	0.405	कृषि
100	ओझापुरवा	छोटे पुत्र बदलू व सोनकली पत्नी छोटे, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/15	0.317	कृषि
101	ओझापुरवा	विशुननाथ पुत्र मंगरे व विशुना देवी पत्नी विशुननाथ, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/16	0.317	कृषि
102	ओझापुरवा	मालिकराम पुत्र दुलारे व ममता पत्नी मालिकराम, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/17	0.405	कृषि
103	ओझापुरवा	राजेन्द्र पुत्र आशाराम, नि0 ओझा ग्राम-पुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/18	0.317	कृषि
104	ओझापुरवा	राकेश कुमार पुत्र रामवचन व अनीता देवी पत्नी राकेश कुमार, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/19	0.405	कृषि
105	ओझापुरवा	रामलखन पुत्र अर्जुन व रामरानी पत्नी रामलखन, नि0 ओझापुरवा	पिछड़ी जाति	1018ड/20	0.405	कृषि
106	कलुआपुर	मिश्रीलाल पुत्र रामदयाल व जोखनी पत्नी मिश्रीलाल, नि0 चमारनपुरवा	चमार	1363मि0	0.081	कृषि
107	कलुआपुर	विमलेश कुमार पुत्र सूरज लाल व मालती पत्नी विलेश कुमार, नि0 चमारनपुरवा	चमार	1363मि0	0.081	कृषि
108	कलुआपुर	रामप्रसाद पुत्र मुल्लू व पुष्पा देवी पत्नी रामप्रसाद, नि0 चमारनपुरवा	चमार	919मि0	0.081	कृषि

1	2	3	4	5	6	7
109	कलुआपुर	नन्दराम पुत्र मोलेदास व नन्दरानी पत्नी नन्दराम, नि0 चमारनपुरवा	चमार	919मि0	0.081	कृषि
110	कलुआपुर	मिथलेश कुमार पुत्र सुर्जनलाल व माया देवी पत्नी मिथलेश कुमार, नि0 चमारनपुरवा	चमार	919मि0	0.081	कृषि
111	कलुआपुर	शिवभगवान पुत्र रामदेव व रामगुनी पत्नी शिवभगवान, नि0 चमारनपुरवा	भुर्जी	919मि0	0.081	कृषि
112	कलुआपुर	लुकमान पुत्र छोटन्न व नगमा पत्नी लुकमान, नि0 चमारनपुरवा	अंसारी	919मि0	0.081	कृषि
113	कलुआपुर	इन्सान अली पुत्र छोटन्न व चांदनी बानो पत्नी इंसान अली, नि0 चमारनपुरवा	अंसारी	919मि0	0.081	कृषि
114	कलुआपुर	मुल्लू पुत्र महावीर व रामबेटी पत्नी मुल्लू, नि0 कलुआपुर	चमार	2 किता	0.117	कृषि
115	कलुआपुर	रतनलाल पुत्र रामभरोसे व रामकली पत्नी रतनलाल, नि0 कलुआपुर	चमार	2 किता	0.121	कृषि
116	कलुआपुर	रतनेश कुमार पुत्र सुर्जनलाल व सीमा देवी पत्नी रतनेश कुमार, नि0 कलुआपुर	चमार	881ख	0.121	कृषि
117	कलुआपुर	सग्गीर पुत्र छेद्दू व नादिरा पत्नी सगीर, नि0 कलुआपुर	तेली	919मि0	0.108	कृषि
118	कलुआपुर	सब्बीर पुत्र छेद्दू व साबिरा पत्नी सब्बीर, नि0 कलुआपुर	तेली	919मि0	0.108	कृषि
119	कलुआपुर	जमील अहमद पुत्र छेद्दू व जमीला पत्नी जमील अहमद, नि0 कलुआपुर	तेली	919मि0	0.108	कृषि
120	कलुआपुर	शमीम अखतर पुत्र छेद्दू व नगमा पत्नी शमीम अखतर, नि0 कलुआपुर	तेली	919मि0	0.108	कृषि
121	कलुआपुर	अनिल कुमार पुत्र रामआसरे व रामसहेली पत्नी अनिल कुमार, नि0 कलुआपुर	भुर्जी	1363मि0	0.127	कृषि
122	कलुआपुर	मतीन पुत्र मोबी व रूकसाना पत्नी मतीन, नि0 कलुआपुर	अंसारी	919मि0	0.108	कृषि
123	कलुआपुर	रामकुमार पुत्र बदलू व रामसहेली पत्नी रामकुमार, नि0 कलुआपुर	लोध	919मि0	0.108	कृषि
124	कलुआपुर	वसीम पुत्र मोबीन व रफीकुन पत्नी वसीम, नि0 कलुआपुर	अंसारी	919मि0	0.108	कृषि
125	कलुआपुर	इन्सान अली पुत्र बहाजुद्दीन व सलमा पत्नी इन्सान अली, नि0 कलुआपुर	अंसारी	919मि0	0.108	कृषि

1	2	3	4	5	6	7
126	कलुआपुर	उस्मान पुत्र इन्सान अली व नगमा पत्नी उस्मान, नि0 कलुआपुर	अंसारी	919मि0	0.108	कृषि
127	कलुआपुर	मो0 मुरसलीन पुत्र मो0 उमर व समसुननिशा पत्नी मो0 मुरसलीन, नि0 कलुआपुर	अंसारी	919मि0	0.108	कृषि
128	कलुआपुर	मुख्त्यार अली पुत्र हैदर अली व गुलिस्ता पत्नी मुख्त्यार अली, नि0 कलुआपुर	अंसारी	919मि0	0.108	कृषि
129	चहमलपुर	छेद्दू पुत्र भूरे, नि0 चहमलपुर	कोरी	123/8	0.012	आवासीय
130	चहमलपुर	सन्दीप पुत्र रामभरोस व माया देवी पत्नी सन्दीप, नि0 चहमलपुर	पासी	135/13	0.012	आवासीय
131	चहमलपुर	फूलमती पत्नी हुलासी, नि0 चहमलपुर	चमार	121/33	0.012	आवासीय
132	चहमलपुर	जुगुल पुत्र सुन्दर, नि0 चहमलपुर	बढ़ई	108/11	0.012	आवासीय
133	चहमलपुर	छोटेलाल पुत्र चक्कर व श्यामा पत्नी छोटेलाल, नि0 चहमलपुर	कहार	121/17	0.012	आवासीय
134	चहमलपुर	सुनील पुत्र राजाराम व सीमा पत्नी सुनील, नि0 चहमलपुर	कहार	121/11	0.012	आवासीय
135	चहमलपुर	झब्बू पुत्र चक्कर व कमला पत्नी झब्बू, नि0 चहमलपुर	कहार	121/12	0.012	आवासीय
136	चहमलपुर	रामरती पत्नी रामप्रसाद, नि0 चहमलपुर	कहार	121/18	0.012	आवासीय
137	चहमलपुर	धर्मेन्द्र पुत्र रामासरे व सुनीता पत्नी धर्मेन्द्र, नि0 चहमलपुर	अहीर	121/29	0.012	आवासीय
138	चहमलपुर	ओमप्रकाश पुत्र सर्वोनन्द व विमला पत्नी ओमप्रकाश, नि0 चहमलपुर	कहार	121/31	0.012	आवासीय
139	चहमलपुर	विश्राम पुत्र रामेश्वर व रामरानी पत्नी विश्राम, नि0 चहमलपुर	लोहार	121/30	0.012	आवासीय
140	चहमलपुर	राजेश पुत्र कुन्जन व रानी पत्नी राजेश, नि0 चहमलपुर	तमोली	121/32	0.012	आवासीय

तहसीलदार,
धौरहरा, खीरी।

नत्थी ''घ''

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-52 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 51 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री सीताराम वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-52 के उत्तर का विवरण-

माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार हेतु निम्न उपाय अपनाये गये हैं जैसे- पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए अधिकांश प्रमुख विषयों (भाषा विषयों को छोड़कर) में एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। परीक्षार्थियों पर परीक्षा का दबाव कम करने की दृष्टि से सत्र 2018-19 से सभी विषयों में इण्टरमीडिएट स्तर पर दो प्रश्न-पत्रों के स्थान पर एकल प्रश्न-पत्र की व्यवस्था लागू कर दी गयी है, साथ ही छात्रों एवं शिक्षकों की सुविधा हेतु प्रतिदर्श प्रश्न-पत्रों को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की बेवसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यालयी परीक्षाओं में छात्रों को अभ्यासार्थ प्रश्नों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक वृहद क्चेश्चन बैंक तैयार किये जाने की दृष्टि से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जनपद स्तर पर प्रश्न संकलित कर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। विद्यालयों में शैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन हेतु शैक्षिक पंचांग लागू कर दिया गया है तथा शैक्षिक पंचांग के सम्यक् अनुपालन हेतु समय-समय पर विद्यालयों के आवश्यक निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है।

नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों का आनलाइन निर्धारण के साथ वायस रिकार्डर एवं सी0सी0टी0वी0 लगाने की व्यवस्था परीक्षा वर्ष 2019 से प्रारम्भ की गयी है। परीक्षा अवधि को कम करते हुए इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षायें 14 कार्य दिवसों में तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा 16 कार्य दिवसों में सम्पन्न कराने की व्यवस्था की गयी है। छात्र/छात्राओं की आधार संख्या आनलाइन अपलोड किया गया है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार के उपाय किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार का लक्ष्य है पारदर्शी शैक्षिक प्रशासन, सुखी मन शिक्षक, तनावमुक्त छात्र, गुणवत्तापरक शिक्षा और नकल विहीन परीक्षा इसके लिए सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर निम्नवत् प्रयास किये जा रहे हैं :-

1-निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 लागू किया गया है।

2-149 पं0 दीन दयाल राजकीय माडल इण्टर कालेजों/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में 37 राजकीय इण्टर कालेज, 8 नये माध्यमिक विद्यालय इस प्रकार कुल 194 विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

3-302 राजकीय इण्टर कालेजों में गणित, 87 राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक विज्ञान, 87 राजकीय इण्टर कालेजों में रसायन विज्ञान, 219 राजकीय इण्टर

कालेजों में जीव विज्ञान विषय के पद सृजित कर सभी राजकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान, गणित शिक्षण की व्यवस्था लागू की गयी है।

4-प्रदेश में विभिन्न बोर्डों द्वारा वर्ष 2018 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण राज्य स्तर पर 147 मेधावी विद्यालयों को रुपये एक लाख की धनराशि, एक टैबलेट, मेडल तथा प्रशस्ति-पत्र एवं उनके अभिभावकों को शाल एवं पगड़ी तथा जनपद स्तर पर 1563 मेधावी विद्यार्थियों को रुपये 21,000 हजार की धनराशि, एक टैबलेट, मेडल तथा प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया है तथा उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, लखनऊ द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की प्रथमा, पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कुल 40 मेधावी विद्यार्थियों को प्रथम बार सम्मानित किया गया है।

5-112 मेधावी विद्यार्थियों को उनके निज ग्राम तक लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सम्पर्क मार्ग गौरव पथ के निर्माण हेतु शिलान्यास/लोकार्पण किया गया है।

6-राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि रु0 10,000 से बढ़ाकर रु0 25,000 किया गया है।

7-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं का आनलाइन स्थानान्तरण की व्यवस्था के साथ अतिथि विषय विशेषज्ञों का मानदेय हाईस्कूल स्तर पर रु0 8,000 से 10,000 तथा इण्टर स्तर पर रु0 10,000 से 15,000 बढ़ाकर मानदेय की दरों में वृद्धि की गयी है।

8-विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आटोमोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी, आई0टी0, हेल्थ एण्ड वेलनेस 5 ट्रेड उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

9-राजकीय विद्यालयों की श्रेष्ठता निर्धारित करने हेतु आनलाइन ग्रेडिंग व्यवस्था की गयी है।

10-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अध्यापकों का चयन होने तक रिक्त पदों की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों को जनपद स्तर पर पूल तथा मानदेय के आधार पर सत्रान्त तक प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों की व्यवस्था की गयी है।

डा0 दिनेश शर्मा,
उप मुख्य मंत्री।

पी0एस0यू0पी0-100 विधान सभा-29-07-2019-631 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।